22

ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रदर्शन की समीक्षा

[प्राक्कलन समिति की 11वीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही]

प्राक्कलन समिति
(2022-23)

बाइसवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

बाइसवां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति
(2022-23)
(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रदर्शन की समीक्षा

(9 फ़रवरी, 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया**)**

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

..... 2023/ 1944

विषय सूची **पृष्ठ**

प्राक्कलन समिति (2022-23) की संरचना (ii)
प्राक्कथन (iv)

अध्याय एक **प्रतिवेदन** **1**

अध्याय दो **सिफारशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है** **15**

अध्याय तीन **सिफारशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती** **40**

अध्याय चार **सिफारशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं** **42**

अध्याय-पांच **सिफारशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं** **45**

परिशिष्ट

I. **प्राक्कलन समिति (2022-23) की 02.02.2023 को हुई चौदहवी बैठक का कार्यवाही सारांश** **47**

II. **सिफारिशों का विश्लेषण** **49**

प्राक्कलन समिति की संरचना (2022-2023)

श्री गिरीश भालचंद्र बापट – सभापति

2. कुँवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी,
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्री हरीश द्विवेदी
8 श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर
9. डॉ. संजय जायसवाल
10. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
11. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
12. श्री पिनाकी मिश्रा
13. श्री के. मुरलीधरन
14. श्री जुआल ओराम
15. श्री कमलेश पासवान
16. डॉ. के.सी. पटेल
17. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
18. श्री विनायक भाऊराव राउत
19. श्री अशोक कुमार रावत
20. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
21. श्री राजीव प्रताप रूडी
22. श्री दिलीप शइकीया
23. श्री फ्रांसिस्को कॉसमे सरदिन्हा
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री प्रताप सिम्हा
26. श्री परवेश साहिब सिंह
27. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
28. श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)
29. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
30. श्री श्याम सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पंडा	-	अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	डॉ. (श्रीमती) शीतल कपूर	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, प्राक्कलन समिति **(2022-23)** का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रदर्शन की समीक्षा' विषयक समिति **(2021-22)** के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी बाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. प्राक्कलन समिति (2021-22) का ग्यारहवां प्रतिवेदन 5 अगस्त, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को दर्शाते हुए 10, जनवरी, 2023 को अपने उत्तर भेजे। समिति ने 2 फ़रवरी, 2023 को प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

3. प्राक्कलन समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण परिशिष्ट दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;
02 फ़रवरी, 2023
13 माघ, 1944 (शक)

गिरिश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित "प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" विषय पर ग्यारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. ग्यारहवें प्रतिवेदन को दिनांक 05.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 18 टिप्पणियां/सिफारिशें थीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के की-गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुए हैं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों को वृहद रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश पैरा सं. 1,2,3,4,5,6,7, 8,11,12,14,15,16 और 17 **कुल: 14**

(अध्याय-दो)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

सिफारिश पैरा सं.18 **कुल: 01**

(अध्याय-तीन)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:

सिफारिश सं. 10 और 13 **कुल:02**

(अध्याय-चार)

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश सं. 9 **कुल: 01**

(अध्याय-पाँच)

4. समिति यह चाहती है कि अध्याय-I में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण और अध्याय-V में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई उत्तर, जिसके लिए सरकार द्वारा अंतरिम उत्तर दिया गया है, उन्हें सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति अब उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार करेगी जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर आगे टिप्पणियां किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं. 9)

लाभार्थियों को बैंक ऋण सुविधा

6. मूल ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट अपनी सिफारिश में, समिति ने निम्नवत बताया था:

"पीएमएवाई-जी के तहत मकान निर्माण के लिए लाभार्थियों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 1,20,000 रुपये की निर्धारित राशि से अधिक के मकान निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को बैंक ऋण सुविधाओं के प्रावधानों के मुद्दे पर, समिति को बताया गया कि इस योजना में 70000 रुपये का ऋण लेने का प्रावधान है। कुछ राज्यों में जहां अनुवर्ती कार्रवाई अच्छी है, लाभार्थियों ने ऋण का लाभ उठाया है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे औपचारिक रुप से बैंक स्तर पर लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को अनौपचारिक ऋण लेना पड़ा जो औपचारिक ऋण से महंगा है। मंत्रालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्तीय सेवा विभाग के परामर्श से छोटे आवासीय ऋण विकसित करने का मामला उठाया है क्योंकि ग्रामीण आवासन भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण है। यदि मंत्रालय इस कार्यक्रम को कर सकता है तो लाभार्थियों की बाद की पीढ़ियां, जब वे बड़े होकर अलग हो जाती हैं, सरकार से कुल सब्सिडी योजना के बजाय बैंक ऋण ले सकती हैं। समिति के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर (19 जुलाई, 2021) के माध्यम से सूचित किया है कि नमूना ऋण सुविधा (पीएमएवाई-जी के तहत) को आज तक भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया था कि सचिव (ग्रामीण विकास) ने 23 जून, 2021 के डीओ पत्र के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग के सचिव से तत्काल डीएफएस द्वारा बैठक बुलाकर ऋण सुविधा के विकास संबंधी कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया था। पीएमएवाई-जी की इस योजना के चार वर्ष पूरे होने के बाद भी और इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि ग्रामीण आवास भी एक

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण है, समिति यह जानकर दु:खी है कि मंत्रालय लाभार्थियों के वित्तीय सहायता हेतु तंत्र की मॉडलिंग करने में निष्क्रिय रहा है। इसलिए, समिति मंत्रालय से प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करती है ताकि सभी जरूरतमंद लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके जिससे योजना में मकान केवल कागजों में ही न बने बल्कि वास्तव में भी बने। समिति को आशंका थी कि क्या मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत ऋण को बट्टे खाते में डाल देंगे, और इसलिए समिति इस बात से अवगत होना चाहती है कि किस तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों को औपचारिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है और किस तरह से मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत ऋण की वसूली करेगा। समिति का दृढ़ विचार था कि मंत्रालय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लाभार्थियों को "श्रेणीवार" ऋण के साथ "नमूना ऋण योजना" के पूरक के रूप में "वित्तीय सहायता" पहलू को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। समिति को अवगत कराया जाए कि क्या मंत्रालय इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की कई श्रेणियों के साथ सुसंगत ब्याज योजना को अंतिम रूप दे रहा है।"

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"संस्थागत ऋण का प्रावधान अर्थात् लाभार्थी को वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना पीएमएवाई-जी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क (एफएफआई) के अध्याय 2 के पैरा 2.2 (i) के अनुरूप ऋण सुविधा के विकास के लिए निर्णय लिया गया था - 'यदि लाभार्थी ऐसा चुनता है, तो उसे वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावित प्रारूप ऋण सुविधा को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के माध्यम से वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है। अनुमोदित ऋण सुविधा के अनुसार, प्रस्तावित 2.0 लाख लाभार्थियों को दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 की अवधि में 0.70 लाख की दर से 1400 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए 60 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता होगी।"

8. समिति ने यह नोट किया था कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को आवास निर्माण (120000 रुपये की निर्धारित राशि से अधिक) के लिए बैंक ऋण की सुविधाएं

प्रदान की जाती हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे बैंक स्तर पर औपचारिक रूप से लागू नहीं किया है। समिति मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई उत्तर से यह नोट करती है कि प्रस्तावित प्रारूप ऋण सुविधा को वित्त मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। "प्रारूप ऋण सुविधा" को अंतिम रूप देने में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, समिति आशा करती है कि अब इसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय इसे लागू करने में भी तेजी लाए। पीएमएवाई-जी की योजना को मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है और इसकी पूर्णता में 2 वर्ष से भी कम समय की अवधि होने पर, "प्रारूप ऋण सुविधा" को लागू करने में देरी इसके सृजन के मूल उद्देश्य को विफल कर देगी। समिति आगे दोहराती है कि प्रस्तावित ऋण सुविधा उन सभी प्रस्तावित 2 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिन्हें अपने घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की सख्त ज़रूरत है। समिति मंत्रालय से तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है ताकि "ऋण सुविधा" को वास्तविक रूप में सामने लाया जा सके, और सभा में इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के एक महीने के भीतर उन्हें अवगत कराया जाए।

<u>टिप्पणियाँ/सिफारिशें (पैरा सं. 10)</u>

वित्तीय सहायता में संशोधन की आवश्यकता

9. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने निम्नवत बताया था:

" समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक इस योजना के तहत 2.95 करोड़ घरों की निर्माण की लक्षित अवधि थी; लक्षित संख्या में मकानों के निर्माण के लिए केवल एक वर्ष शेष रह गया है। समिति ने यह पाया कि विभिन्न निर्माण सामग्री और श्रम शुल्क की लागत बढ़ने के कारण लाभार्थियों को अपने पास राशि से मकान का निर्माण पूरा करने में दिक्कत हो रही है। समिति का मानना है कि एक बेघर की सत्तर हजार रुपये की सीमा निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होती है और मंत्रालय इसे और बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। समिति का यह भी मानना है कि श्रम की दरों में स्थिर और निरंतर वृद्धि, भवन निर्माण सामग्री की लागत और अन्य आपूर्ति की लागत में वृद्धि के कारण मंत्रालय की ओर से पीएमएवाई-जी वित्तीय सहायता की राशि के तहत अनुमत ऋण/वित्तीय सहायता जुटाना अनिवार्य हो जाता है। समिति का दृढ़ विश्वास है कि मंत्रालय को निर्माण लागत से जुड़ी मुद्रास्फीति की लागत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता की राशि में संशोधन करना चाहिए। समिति की

सिफारिश है कि मंत्रालय धन को मंजूरी देने के लिए एक आधार रेखा के रूप में "निर्माण की अनुक्रमित लागत" का प्रस्ताव भी तैयार कर सकता है जो वास्तविक अर्थों में लक्षित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगा।"

10. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना के पुनर्गठन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगते समय, यह प्रस्ताव किया गया था कि 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण की लागत 600 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 1.50 लाख रुपये होगी। पीएमएवाई-जी के तहत इकाई सहायता (1.20 लाख रुपये/1.30 लाख रुपये) के साथ-साथ मनरेगा (90/95 कार्य दिवस) और एसबीएम-जी (शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता) से अकुशल श्रमिकों के लिए सहायता 25 वर्ग मीटर के मकान के निर्माण के लिए पर्याप्त होगी। यह एक बुनियादी आवास इकाई के लिए होगा जिसे लाभार्थी अधिक संसाधन उपलब्ध होने पर इसे बढा भी सकता है। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों और हिमालयी राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये है। 31.03.2016 तक तत्कालीन ग्रामीण आवास योजना के तहत इकाई सहायता 70,000/75,000 रुपये थी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना को पीएमएवाई-जी के रूप में पुनर्गठन का अनुमोदन करते समय बढ़ाकर 1,20,000/1,30,000 रुपये कर दिया गया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार पीएमएवाई-जी को मार्च, 2021 से आगे मार्च, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत इकाई सहायता को यथावत रखा गया है और वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ के संचयी लक्ष्य के भीतर शेष मकानों को पूरा करने के लिए लागत अनुमान तदनुसार प्राप्त किया गया है।

पीएमएवाई-जी के तहत, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 2.70 करोड़ मकानों का आवंटन किया गया था, इसमें से लाभार्थियों को कुल 2.43 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.31 करोड़ लाभार्थियों को पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है और दिनांक 27.6.2022 तक 1.86 करोड़ मकानों का

निर्माण किया जा चुका है। मंत्रालय ने 15 अगस्त, 2022 तक 2.02 करोड़ मकानों को पूरा करने और 31 मार्च, 2022 तक 2.95 करोड़ मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए, वर्तमान में, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रदान की गई इकाई सहायता में संशोधन के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

11. **समिति ने यह पाया था कि विभिन्न निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों के लिए घरों का निर्माण पूरा करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, ऋण की वह राशि अपर्याप्त लग रही थी जो लाभार्थी घरों के निर्माण के लिए जुटा सकता है और मंत्रालय से पीएमएवाई-जी की योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि को संशोधित करने की सिफारिश की थी। अपने उत्तर में, मंत्रालय ने लाभार्थी के लिए वित्तीय सहायता की प्रारंभिक सीमा पर समान मानदंडों के साथ वर्ष 2024 तक योजना के विस्तार पर कैबिनेट की मंजूरी के बारे में सूचित किया है। हालांकि, समिति आग्रह करती है कि लाभार्थियों को ऋण सहायता की समीक्षा की जानी चाहिए और निर्माण मॉड्यूल की अनुक्रमित लागत तय रखी जानी चाहिए ताकि पीएमएवाई-जी योजना के तहत लागत में वृद्धि को कम किया जा सके।**

टिप्पणियाँ/सिफारिशें (पैरा सं. 12)

कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा

12. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने निम्नवत बताया था:

"इस विषय की जांच करते हुए समिति ने उस निगरानी तंत्र की जानकारी मांगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी को भूमि खरीद के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गई थी। इस पर मंत्रालय ने उत्तर दिया कि भूमिहीन लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराना राज्यों/केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। समिति के प्रश्नों के उत्तर में मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अलग निगरानी प्रणाली नहीं है जिससे यह पता लग सके कि उक्त उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। मंत्रालय ने आगे यह भी सूचित किया था कि पीएमएवाई-जी के संबंध में अभी एक कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा की जानी है। समिति का दृढ़ मत है कि समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की योजना के समय ऐसी अखिल भारतीय कवरेज की आवश्यकता होती है जिसका विषय बेघर लोग हैं और इस प्रकार समिति इस योजना के कार्यनिष्पादन

लेखापरीक्षा के परिणामों से अवगत होना चाहेगी। समिति का मानना था कि इस आवास योजना में सोशल ऑडिट करने के लिए सामाजिक स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण किया जा सकता है। मंत्रालय ने इस पर सहमति व्यक्त की और कहा कि ''आपका सुझाव भी हमारे लिए बेहद उपयोगी है"। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।"

13. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"**सोशल ऑडिट** किसी परियोजना विशेष के कार्यान्वयन के लिए किसी संगठन के प्रयासों, प्रक्रियाओं और **सामाजिक** जिम्मेदारी और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में आचार संहिता की औपचारिक समीक्षा है। **सोशल ऑडिट** इस बात का आकलन है कि कोई नीति **सामाजिक** जिम्मेदारी के लिए अपने लक्ष्यों या मानकों को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर रही है। सोशल ऑडिट पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा में उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। तदनुसार, इस प्रक्रिया को सरल बनाने और उक्त प्रक्रिया में बेहतर निगरानी और पारदर्शिता पहलुओं के लिए पीएमएवाई-जी के तहत सोशल ऑडिट के संबंध में मॉड्यूल विकसित किया गया है] लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की गई है। तथापि, इस मंत्रालय के दिनांक 27 जनवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे पीएमएवाई-जी के सोशल ऑडिट दिशानिर्देशों के अनुसार सोशल ऑडिट करें और वर्ष 2016-17 से अब तक किए गए सोशल ऑडिट के आंकड़े और वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में सोशल ऑडिट की प्रस्तावित संख्या प्रदान करें, इसके संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 02.12.2022 तक सोशल ऑडिट की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयोजित की गई सोशल ऑडिट
1.	उत्तर प्रदेश	1,11,319
2.	त्रिपुरा	46,905
3.	मेघालय	40,550
4.	पश्चिम बंगाल	12,547
5.	उत्तराखंड	5,645
6.	असम	542
7.	मिजोरम	310

8.	झारखंड	128
9.	आंध्र प्रदेश	124
10.	बिहार	116
11.	हिमाचल प्रदेश	88
12.	ओडिशा	52
कुल		**2,18,326**

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन में कहा गया है कि डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के बीच टिकाऊ मकानों के निर्माण, सामग्री की खरीद के स्त्रोत आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी शामिल हैं।

इसके अलावा, महानिदेशक ऑडिट (केंद्रीय व्यय) द्वारा 12 राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 97 जिलों के 250 ब्लॉकों की 1250 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संबंध में 2017-18 से 2021-22 की अवधि की अखिल भारतीय कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा शुरू की गई है। सितंबर, 2022 से दिसंबर, 2022 तक कार्यस्थल पर ऑडिट की जा रही है।"

14. समिति ने पाया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अलग निगरानी तंत्र नहीं है कि पीएमएवाई-जी के तहत संबंधित निधियों का इसके लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था। इसलिए, उन्होंने सिफारिश की थी कि उक्त लेखापरीक्षा योजना में सोशल ऑडिट शामिल करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का उपयोग किया जाए। समिति को मंत्रालय के उत्तर से यह बात जानकर प्रसन्नता हुई है कि 12 राज्यों ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जारी सोशल ऑडिट दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से सोशल ऑडिट कराई थी। समिति मंत्रालय से इस तथ्य को गंभीरता से लेने का आग्रह करती है कि आधे से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण आवास के सोशल ऑडिट को लागू करना और रिपोर्ट देना बाकी है। समिति ने यह भी नोट किया कि पीएमएवाई-जी की अखिल भारतीय

कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा 5 वर्ष की अवधि के लिए उनकी सिफारिश के आधार पर शुरू की गई है। समिति इस संबंध में कार्यक्रम से अवगत होना चाहती है।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 13)

निर्माण की गुणवत्ता

15. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने निम्नानुसार कहा था:

"विषय की जांच के दौरान समिति को बताया गया कि ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में क्रमश: केवल 10 प्रतिशत और 2 प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना होता है। समिति ने जानना चाहा कि अन्य मकानों का गुणवत्ता पर्यवेक्षण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और मंत्रालय ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि योजना के लिए विकसित हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी के अनुरूप है। इन बातों का जवाब देते हुए मंत्रालय ने कहा कि एनआईसी की मदद से उन्होंने अवाससॉफ्ट में "हाउस क्वालिटी रिव्यू एप्लीकेशन" विकसित किया था जिसमें पूर्ण चरण में ली गई फोटो का उपयोग करके घरों की टैग वाली तस्वीर पीएमएवाई-जी के तहत मकानों की गुणवत्ता की समीक्षा की जाती है। पीएमएवाई गुणवत्ता निर्माण की समीक्षा, कॉमन रिव्यू मिशन टीम, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों आदि द्वारा फील्ड विजिट के माध्यम से भी की जा रही है। इस मुद्दे पर आगे, मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि चूंकि लाभार्थी आवासों के निर्माण में शामिल थे, इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गुणवत्ता अच्छी हो। इस प्रकार मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यक्रम में कार्यान्वयन और डिजाइन के संबंध में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा आवास योजना के समानांतर आते हुए कहा गया कि इंदिरा आवास योजना में ठेकेदारों की भागीदारी के कारण आवासों के निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, उन आवासों की तुलना में जहां लाभार्थी शामिल थे।

इसके अलावा, समिति का मानना है कि 'सभी के लिए आवास' योजना में निर्माण के विभिन्न चरणों में घरों की गुणवत्ता की निगरानी करने का प्रावधान नहीं है। समिति ने कहा कि पीएमएवाई-जी के समानांतर (पीएमजीएसवाई) योजना का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होना चाहिए था, जहां निर्माण के चरणों की निगरानी की जाती है। समिति का दृढ़ मत है कि चूंकि पीएमएवाईजी के तहत निर्मित मकानों का उपयोग अधिक समय तक किया जाना है, इसलिए निर्माण के विभिन्न चरणों में घरों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समिति ने मंत्रालय से योजना के निगरानी पहलू पर फिर से ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए कि निर्माण के विभिन्न चरणों में

गुणवत्ता का मूल्यांकन उन घरों के लिए किया जाए जिनका निर्माण अभी योजना के तहत किया जाना है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह संयुक्त बैठक के माध्यम से राज्य सरकारों के परामर्श से एक तंत्र तैयार करे और प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे जो निर्माण के विभिन्न चरणों में घरों का निरीक्षण करेगा; जिससे योजना के निगरानी पहलू दोनों को समृद्ध बनाने के साथ-साथ उसके निर्मित मकानों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।"

16. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन पर जोर देता है। मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। राष्ट्रीय स्तर की निगरानी (एनएलएम) प्रणाली का उद्देश्य सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए निष्कर्षों की समीक्षा की जाती है और राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

पीएमएवाई-जी सहित ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एनएलएम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समय-समय पर दौरा करता है। इसके अलावा, योजना के तहत निर्मित मकानों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय दलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाती है।

पीएमएवाई-जी के तहत मकानों की टाइम-टैग और जियो-टैग की गई तस्वीरों को आवास ऐप का उपयोग करके मकान के निर्माण के विभिन्न स्तरों पर कैप्चर किया जा रहा है और इसे आवाससॉफ्ट एमआईएस में अपलोड किया जा रहा है। पीएमएवाई-जी मकानों की अपलोड की गई जियो-टैग की गई तस्वीरों का उपयोग करके कुछ हद तक मकानों की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'हाउस क्वालिटी रिव्यू एप्लिकेशन' विकसित की है। तदनुसार, मकान गुणवत्ता समीक्षा मॉड्यूल को सक्रिय बनाया गया है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने दिनांक 5 जनवरी, 2022 के इस मंत्रालय के पत्र के माध्यम से निर्माण के विभिन्न स्तरों पर पीएमएवाईजी आवासों की बेहतर निगरानी के लिए आवास गुणवत्ता समीक्षा

मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार ने 21 मई 2021 को क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का उद्देश्य पीएमएवाई-जी सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं का वास्तविक समय के आधार पर निरीक्षण और साक्ष्य-आधारित रिपोर्टिंग करना है। यह ऐप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को उनके क्षेत्रीय दौरों के निष्कर्षों को इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप अधिकारियों को मकानो की मुहर लगी और जियो-टैग की गई तस्वीरों को रिकॉर्ड करने की भी सुविधा देता है। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशासनिक सचिव को प्रति माह चल रहे पीएमएवाई-जी आवासों का कम से कम 10 दौरे करने के लिए कहा गया है और अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी या समकक्ष स्तर के अधिकारियों को प्रति माह पीएमएवाई-जी आवासों का कम से कम 15 दौरे करने के लिए कहा गया है। फील्ड दौरों के निष्कर्षों को क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप पर दर्ज किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एआई आधारित फोटो विश्लेषण के माध्यम से मकानों की जियोटैग की गई तस्वीरों का उपयोग करके मकानों की निर्माण गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित कर रहा है।"

17. समिति ने यह पाया था कि पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों में निर्माण के विभिन्न चरणों में घरों की गुणवत्ता की निगरानी का प्रावधान नहीं है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और दीर्घकालिकता संदेहपूर्ण हो जाती है। इसलिए, उन्होंने निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए निर्माण के विभिन्न चरणों में घरों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की थी। समिति अब राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली, हाउस क्वालिटी रिव्यू ऐप, केंद्रीय टीम द्वारा दौरे आदि के बारे में मंत्रालय के उत्तर से प्रसन्न है। इसके साथ, रियलटाइम निरीक्षण और साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग का आकलन करने के साथ-साथ योजना के तहत निर्मित घरों की जियो-टैग की गई तस्वीरों के लिए एआई आधारित इमेजिंग के लिए मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग के लिए एक "एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप" की शुरुआत की गई है। लेकिन उत्तर में नामित क्षेत्र अधिकारी की स्थिति और अधिकार क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। समिति चाहती है कि मंत्रालय नियुक्ति/पदनाम, क्षेत्र और अधिदेश का ब्योरा दें, जिसका "एरिया नोडल अधिकारी" निरीक्षण

करेगा और "एरिया मॉनिटरिंग ऐप" पर वापस रिपोर्ट करेगा। समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि वह इस मुद्दे पर उन्हें जिलेवार आंकड़ों, प्रत्येक एरिया ऑफिसर द्वारा किए गए सर्वेक्षण, निरीक्षण की आवृत्ति आदि के बारे में आगे अवगत कराए।

टिप्पणियाँ/सिफारिशें (पैरा संख्या 14)

जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली का प्रावधान

18. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने निम्नवत बताया था:

"समिति ने इस विषय की जांच के दौरान कुछ सामान्य सेवाओं जैसे जल निकासी या जलापूर्ति प्रणाली के प्रावधान और इन सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए मौजूद प्रावधानों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत जल निकासी और जलापूर्ति व्यवस्था के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थी को पेयजल और स्वच्छता विभाग के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या इसी तरह के तालमेल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। किसी अन्य योजना के तहत बनाए गए मकानों के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन सुविधा के मुद्दे पर मंत्रालय ने माना कि इस योजना के तहत अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। यह भी बताया गया कि घरों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए घरों द्वारा उत्पन्न ठोस और तरल कचरे का निपटान किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की किसी अन्य योजना के साथ संघ राज्य क्षेत्र या राज्य स्वच्छ भारत मिशन तालमेल के माध्यम से हो सकती है। समिति सिफारिश करती है कि पीएमएवाई-जी को पानी और अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने की योजनाओं के साथ उचित रूप से एकीकृत किया जाए। समिति ने यह बताया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का अक्षरश: विचार है कि मंत्रालय को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को आपस में जोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए और (एक नोडल अधिकारी के माध्यम से) समन्वय करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमएवाई-जी के तहत बनाए गए मकान जलापूर्ति, जल निकासी प्रणाली, बिजली कनेक्शन आदि सहित सभी प्रकार से रहने योग्य हों। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस संबंध में राज्य सरकार को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।"

19. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"मंत्रालय ने बिजली कनेक्शन, रसोई गैस कनेक्शन, पेयजल, शौचालय निर्माण आदि के लाभ प्रदान करने के लिए जिन संबंधित मंत्रालयों के साथ पीएमएवाई-जी का विलय किया है, उनके साथ अभिसरण और समन्वय के स्तर के विश्लेषण पर एक समिति का गठन किया है। अभिसरण के प्रभाव के आकलन का अध्ययन मंत्रालय द्वारा एनआईआरडी एवं पीआर के माध्यम से आयोजित करने की योजना पहले ही बनाई गई है। मंत्रालय योजनाओं के एमआईएस के बीच डाटा हस्तांतरण के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श कर रहा है, जिसके साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित पीएमएवाई-जी का अभिसरण किया गया है ताकि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को प्रदान किए गए अभिसरण लाभ आवाससॉफ्ट एमआईएस पर उपलब्ध हों। यह कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संबंधित योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण के लिए निगरानी और सुझाव देने के लिए संबंधित मंत्रालयों के सदस्य शामिल हैं।

पीएमएवाई-जी आवासों के बीच अभिसरण के ब्यौरे को दर्ज करने के लिए, आवाससॉफ्ट पर एक अभिसरण मॉड्यूल जुलाई 2021 से लाइव किया गया था और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें अभिसरण डेटा दर्ज करने के लिए कहा गया है। दिनांक 7 जून 2022 के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि आवाससॉफ्ट में अभिसरण मॉड्यूल पर पीएमएवाई-जी आवासों के अभिसरण विवरण दर्ज करने में तेजी लाएं।"

20. समिति ने पाया था कि वास्तविक निर्माण के संदर्भ में ग्रामीण परिवारों को आश्रय प्रदान करने के सिवाय, योजना के दिशानिर्देशों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली के लिए कोई प्रावधान/लिंकेज नहीं था। पूर्वगामी बात को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की थी कि इस योजना को पेयजल और अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं के साथ उचित रूप से कनवर्ज किया जाना चाहिए ताकि आवासों (पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित) को पूरी तरह से रहने योग्य बनाया जा सके। समिति अब इस तथ्य पर ध्यान देती है कि मंत्रालय ने पेयजल, एलपीजी कनेक्शन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सुलभ करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ कनवर्जेंस/समन्वय के परिमाण के विश्लेषण के लिए एक समिति का गठन करके उनकी सिफारिश पर विधिवत कार्रवाई की है। लेकिन मंत्रालय उन अर्थोपायों को निर्धारित करने में सक्षम नहीं रहा है जिनके माध्यम से

इस तरह के कनवर्जेंस को कार्यान्वित किया जाएगा। समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय उन योजनाओं के एमआईएस के बीच आंकड़ों के अंतरण के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श कर रहा है, जिनके साथ पीएमएवाई-जी को जोड़ा गया है। अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराते हुए समिति ने मंत्रालय से उन प्रोटोकॉल/तंत्र के बारे में बताने का आग्रह किया है जिनके माध्यम से वह पीएमएवाई-जी को अन्य योजनाओं (जैसे पेयजल, स्वच्छता, एलपीजी कनेक्शन) के साथ मिलाने की योजना बना रहा है और तत्काल आधार पर राज्यों को दिशानिर्देश भी जारी करे। समिति की गई कार्रवाई उत्तरों से यह भी नोट करती है कि जुलाई, 2021 से आवाससॉफ्ट पर कनवर्जेंस मॉड्यूल को लाइव कर दिया गया है, जिसमें राज्यों को पीएमएवाई-जी आवासों के कनवर्जेंस ब्योरा दर्ज करने के लिए कहा गया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि चूंकि 18 महीने से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए मंत्रालय को पीएमएवाई-जी के साथ प्रभावी कनवर्जेंस की मॉनीटरिंग करनी चाहिए और समिति को इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर इसके बारे में अवगत कराया जाए।

अध्याय दो

टिप्पणियां / सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 1)

रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई टिप्पणियां/ सिफारिशों के लिए परिचयात्मक ।

परिचयात्मक हिस्सा होने के कारण, कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 2)

संसाधनों का आवंटन

पीएमएवाई जी के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधान में से 95 प्रतिशत पीएमएवाईजी के तहत नए आवासों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया था। इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर योजना के संचालन के लिए प्रशासनिक व्यय के लिए 2% आवंटन शामिल था। बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी असाधारण स्थितियों से उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए बजटीय अनुदान का शेष 5% विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित निधि के रूप में केन्द्रीय स्तर पर बरकरार रखा गया था।

योजना कार्यान्वयन के लिए कोषागार से राज्य नोडल खाते को केंद्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से (एसएनए) को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए समिति ने नोट किया धन की स्थिति की नियमित निगरानी के अलावा नोडल खाते कि राज्य (एसएनए), राज्यों के साथ वीसी के माध्यम से बैठकें की गईं ताकि योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय पर धन जारी करने की आवश्यकता को उजागर किया जा सके। समिति को अवगत कराया गया कि 2020-21 के लिए आवंटित लक्ष्यों के संबंध में पीएमएवाईजी के लिए बजट प्रावधान के संबंध में राज्यों को ग्रामीण विकास सचिव की ओर से पत्र भेजा गया था।

मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का संज्ञान लेने के बाद समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करेगी कि ये उपाय प्रभावी हों और केवल कागज पर व्यक्त इच्छा के रूप में न रहें। समिति को उम्मीद है कि इस संबंध में किए गए पत्राचार के माध्यम से निगरानी से अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। इस संबंध में किए गए पत्राचार से अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल बजट आवंटन 20,000 करोड़ रुपए हैं। वार्षिक केंद्रीय आवंटन का 5% (अर्थात वर्ष 2021-22 के लिए 975 करोड़ रुपए) राज्यों से प्राप्त विशेष परियोजना प्रस्तावों का वित्तपोषण करने के लिए आरक्षित निधि के रूप में केंद्र सरकार स्तर पर रखा

जाएगा। राज्य को पर्याप्त औचित्य बताते हुए विशेष परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत निधियां जारी करने और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा) से प्राप्त संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य नोडल खाते में समय पर केंद्रीय अंश और सदृश्य राज्य अंश जारी करने का अनुरोध किया गया था। राज्यों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने विस्तृत अनुदान मांगों में प्रत्येक सीएसएस (पीएमएवाई-जी सहित) के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य अंश के लिए अलग बजट लाइन रखें और राज्य के बजट में राज्य अंश का आवश्यक प्रावधान करें। पीएफएमएस की टीआरएसवाई 07 रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य अंश के लिए अलग लेखा शीर्षों का प्रावधान किया है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सीधे पीएफएमएस में कार्य करते हैं। अत: उनके लिए एकल नोडल खाता खोलना आवश्यक नहीं है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वैंडरों/लाभार्थियों को ''सही समय पर'' निधियां जारी की जाती हैं। यदि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी एजेंसी को निधियां जारी की जाती हैं, तो एजेंसियों के पास निधियों के संग्रह से बचने के लिए जीएफआर 2017 के नियम 230 (vii) का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकारें अपने खाते में प्राप्त केंद्रीय अंश को उसकी प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर संबंधित एसएनए खाते में अंतरित करेंगी। सदृश्य राज्य अंश केंद्रीय अंश जारी किए जाने के 40 दिनों के भीतर यथाशीघ्र जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दिनांक 23.03.2021 के पत्र द्वारा वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सदृश्य राज्य अंश जारी करेंगे और ऐसा नहीं करने पर पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आगे किस्तें जारी करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अब तक तैयार किए गए नए आईटी समाधान

- **पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड** - विश्लेषणात्मक और कार्यनीतिक कारोबारी जानकारी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और एक नजर में पीएमएवाई-जी योजना की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ से अंत तक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह डैशबोर्ड कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करता है जिसमें संपूर्ण वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा ब्लॉक स्तर तक की रिपोर्टों को एक स्क्रीन पर दिखाना, किस्तें जारी करने के अंतराल/विलंब, मकान निर्माण की गति का विश्लेषण करना, विसंगतियों और बाह्य कारकों का पता लगाने के उद्देश्य से आयु-वार, श्रेणी-वार डाटा विश्लेषण शामिल हैं। साथ ही यह डैशबोर्ड कारोबारी उपयोगकर्ताओं के साथ गहन समन्वय में परिवर्तनशील और अनुकूलन योग्य डाटा प्रस्तुति का उपयोग करते हुए स्वीकृत और निर्मित मकानों की प्रगति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

- **भूमिहीन परिवार मॉड्यूल –** इस योजना में स्थायी प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन परिवारों का ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है क्योंकि वे सबसे अधिक जरूरतमंद होते हैं इसके अलावा, पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन लाभार्थियों को दर्शाने और भूमि उपलब्ध कराने अथवा भूमिहीन लाभार्थियों

को भूमि की खरीद के लिए आर्थिक सहायता की स्थिति को दर्ज करने के लिए भूमिहीन परिवारों से संबंधित एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल में भूमिहीन लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गए भूमि अथवा वित्तीय रूप से दी गई सहायता या भौतिक रूप में उपलब्ध कराई गई भूमि की स्थिति दर्ज की जाती है।

- **अभिसरण मॉड्यूल –** तालमेल इस योजना का एक अंतर्निहित घटक है और इसलिए अभिसरण के अंतर्गत हुई प्रगति की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। अभिसरण मॉड्यूल को शौचालय निर्माण, एलपीजी, पेयजल, मनरेगा, रोजगार, एसएचजी की भागीदारी इत्यादि पर विशेष ध्यान दी जाने वाली अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पीएमएवाई-जी लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए गए लाभ की स्थिति की निगरानी करने के लिए तैयार किया गया है।

- **ई-टिकटिंग प्रणाली –** यह मॉड्यूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत संदर्भ दिए गए तकनीकी और गैर-तकनीकी मुद्दों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया गया है।

- **आधार आधारित भुगतान प्रणाली –** यह प्रणाली पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को सुरक्षित और प्रमाणिक लेन-देन के लिए उनकी आधार संख्या से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की अनुमति प्रदान करती है।

- **सामाजिक लेखा परीक्षा मॉड्यूल –** यह मॉड्यूल मनरेगा के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों की शुरूआत करने के लिए बनाया गया है ताकि पीएमजीएसवाई-जी की सामाजिक लेखा परीक्षा के आयोजन को सुगम बनाया जा सके। पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखा परीक्षा सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा को शामिल करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाती है।

- **मकान गुणवत्ता समीक्षा मॉड्यूल –** लाभार्थियों के साथ समीक्षा दल और संसाधन व्यक्ति प्रक्रियाओं एवं विधियों के संदर्भ में निर्मित मकान की गुणवत्ता का सत्यापन करते हैं। सभी स्तरों पर निगरानी की जाती है जिसमें निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा किए जाने पर विशेष जोर दिया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, डिजाइन से लेकर मकान निर्माण तक पीएमएवाई-जी की सभी विशेषताओं को समझने से संबंधित एक मॉड्यूल भी आईगॉट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जो पीएमएवाई-जी के हितधारकों के क्षमता संवर्धन के लिए बनाया गया एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 3)

निधियों का आबंटन

शुरू में योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय आवश्यकता वार्षिक बजटीय प्रावधान के माध्यम से थी। हालांकि, अंतरिम बजट भाषण 2019 में, बजटीय आवंटन के अलावा, पीएमएवाईजी की घोषणा के - बजटीय अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता की गई थी। अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में अतिरिक्त धनराशि जीबीएस के ऊपर थी और इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को जारी करने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं अर्थात नाबार्ड से यह मांग की जा / सकती थी। पीएमएवाई वार्षिक बजटीय प्रावधान में से95 प्रतिशत पीएमएवाईजी के तहत नए आवासों के के निर्माण के लिए निर्धारित हैं। इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर योजना के संचालन के लिए प्रशासनिक खर्चों की दिशा में 2% आवंटन शामिल है। बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी असाधारण स्थितियों से उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए बजटीय अनुदान का शेष 5% विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित निधि के रूप में केंद्रीय स्तर पर बरकरार रखा जाता है। राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए / रूपरेखा के प्रावधानों के अनुसा को वित्तीय सहायता पीएमएवाई50-50 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी की जाती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 70 लाख घरों के निर्माण के लिए केंद्रीय हिस्से की जरूरत जीबीएस और ईबीआर से पूरी की जानी है। जिसमें से सकल बजटीय सहायता के रूप में (जीबीएस) 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और शेष राशि को नाबार्ड के माध्यम से जुटाए जाने वाले अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जाना है। इसमें से, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएमएवाई जी के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 25,324 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ईबीआर मांगा गया है ताकि मंत्रालय राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों की वित्ती/य जरूरतों को पूरा कर सके। **समिति को आश्वासन दिया गया था कि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए द्वितीय चरण के लिए निधि की आवश्यकता पर्याप्त होगी। इसके अलावा, राज्यों को धन की उपलब्धता सुनिश्चित करके और वास्तविक प्रगति की नियमित निगरानी करके, मंत्रालय द्वितीय चरण के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस तथ्य को देखते हुए कि मंत्रालय ने विश्वास जताया है कि 15 अगस्त, 2022 तक पीएमएवाई जी के तहत-2.02 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य और 31 मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ घरों को प्राप्त कर लिया जाएगा, समिति इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।**

सरकार का उत्तर

दिनांक 07.02.2022 की स्थिति के अनुसार, 2.18 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए हैं, 2.08 करोड़ मकानों के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है और 1.72 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। मकान बनाने की वर्तमान गति के साथ पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.02 करोड़ मकान 15 अगस्त, 2022 तक बना लिए जाएंगे और 2.95 करोड़ मकान बनाने के समग्र लक्ष्य को 2024 तक हासिल कर लिया जाएगा। संभावित समय-सीमा निम्नानुसार है:

वास्तविक उपलब्धि की तारीख	बनाए जाने वाले मकान (इकाई सं. में)
15 अगस्त, 2022	2.02 करोड़
31 मार्च, 2023	2.38 करोड़
31 मार्च, 2024	2.95 करोड़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी को मौजूदा मानदंड के साथ मार्च, 2021 से आगे मार्च, 2024 तक जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया था जिसमें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ मकानों के समग्र लक्ष्य को हासिल करने और नाबार्ड से लिए ऋण के ब्याज की चुकौती के लिए निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1,98,581 करोड़ रुपए (केंद्रीय अंश 1,25,106 करोड़ रुपए और राज्य अंश 73,475 करोड़ रुपए) के कुल वित्तीय निहितार्थ के साथ 03 वर्षों के दौरान अर्थात 2021-22 से 2023-24 तक 155.75 लाख मकान के निर्माण का अनुमोदन दिया था। केंद्रीय स्तर पर 1,43,782 करोड़ रु. की कुल लागत 60,000 करोड़ रुपए के अनुमानित बजटीय संसाधनों से पूरी की जाएगी जबकि शेष निधि वित्त मंत्रालय के परामर्श से जीबीएस के माध्यम से अथवा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 4)

निधियों का उपयोग

विषय की जांच के दौरान समिति ने नोट किया कि राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों द्वारा/ राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों के / पिछले वर्ष का ओपनिंग शेष, केंद्रीय हिस्सा, राज्य का हिस्सा, अर्जित ब्याज और विविध आय शामिल है। तथापि, केन्द्रीय जारी हिस्से या राज्य जारी हिस्से के प्रति अलगअलग व्यय की सूचना नहीं दी जा रही है क्योंकि विभिन्न स्त्रोतों से सभी निधियां एकल बैंक खाते अर्थात एसएनए में जमा की जाती हैं और इसलिए - निधि स्रोत की परवाह किए बिना एसएनए में कुल निधि उपलब्ध के प्रति व्यय किया जाता है। इसके अलावा, 17.11.2020 तक राज्यों संघराज्य क्षेत्रों के पास टीएफए/35279.81 करोड़ रुपये है। इसमें 10002.84 करोड़ रुपये का ओपनिंग शेष, 15007.66 करोड़ रुपये का केंद्रीय जारी हिस्सा, 9517.40 करोड़ रुपये का राज्य जारी हिस्सा, 701.49 करोड़ रुपये की विविध आय और 50.42 करोड़ रुपये का संचित ब्याज शामिल है। दिनांक 17.11.2020 तक 35279.81 करोड़ रुपये के टीएफए के मुकाबले कुल 21388.76 करोड़ रुपये अर्थात 60.62% का व्यय किया गया है। **समिति यह पाती है कि उपलब्ध कुल निधि की तुलना में जिस प्रतिशत निधि का उपयोग किया गया है, वह निश्चित रूप से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने में उत्साहजनक नहीं है। समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आहवान करेगी कि इस संबंध में किए गए आवश्यक उपायों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए ताकि एसएनए में उपलब्ध शेष राशि का लाभप्रद उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, समिति की यह राय है कि जो समीक्षाएं की जाती हैं, उनका अभीष्ट परिणाम होगा और केवल कागजों पर नहीं रहेगा।**

सरकार का उत्तर

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राज्य नोडल खातों में बचे हुए अंतशेष को अगले वित्त वर्ष में अथ शेष के रूप में आगे ले जाया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 26,792.88 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवाससॉफ्ट पर दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 13.09.2022 तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए व्यय राज्य अंश सहित 42,805.94 करोड़ रुपए है। यह उल्लेखनीय है कि सूचित व्यय 63,374.75 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध निधि से किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 का वित्तीय ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मद	2021-22	2022-23
1	अथ शेष	18,710.25	20,006.46
2	जारी निधियां (केंद्रीय)	26,792.88	9,078.87
3	जारी निधियां (राज्य)	16,156.29	8,035.42
4	कुल उपलब्ध निधियां	63,374.75	37,869.37
5	व्यय	42,805.94	27,470.10

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निधियों का उपयोग डीपीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियां जारी करते हुए मकानों के निर्माण की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की गति के संदर्भ में उनके निष्पादन पर निर्भर करता है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी करता है जिसमें उन अधूरे मकानों, जिनके लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्तें जारी कर दी गई हैं, के निर्माण, खराब निष्पादन करने वाले राज्यों के निष्पादन में सुधार करने, विलंब से बनाए जा रहे मकानों को पूरा करने, भूमिहीन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और मकान बनाने की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके निष्पादन के आधार पर रैंक देने के लिए आवाससॉफ्ट में एक निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड तैयार किया है।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियां जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, जारी की गई निधियों पर प्राप्त ब्याज को यथानुपात आधार पर संबंधित समेकित निधि में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना चाहिए और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत किसी राज्य के लिए निर्धारित राशि के 25% से अधिक राशि वित्त वर्ष की शुरूआत में जारी नहीं की जानी चाहिए। अतिरिक्त केंद्रीय अंश (एक बार में 25% से अधिक नहीं) एकल नोडल खाता में निर्धारित राज्य अंश अंतरित करने और पहले जारी की गई निधियों (केंद्रीय और राज्य अंश) के कम से कम 75% का उपयोग करने और पहले दी गई स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन करने पर जारी किया जाएगा। गहन निगरानी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के परिणाम स्वरूप शेष निधि की मात्रा में काफी कमी आई है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 5)

निर्मित आवासों की संख्या

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गृहहीन परिवारों और कच्चे तथा जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को पीएमएवाई-जी में वर्ष 2022 तक मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल, 2016 को हुई थी। लाभार्थियों का आकलन जनगणना 2011 और सामाजिक (एसईसीसी) आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आंकड़ा सेटों, 2011 से निर्मित आवासों और 31 मार्च, 2016 तक निर्माणाधीन आवासों के अनुसार किया गया था। अनुमान था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2.95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना होगा। साथ ही, 15 सितंबर, 2016 तक ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन के बाद और अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2.57 करोड़ परिवारों की पहचान की गई थी। समिति का मानना है कि वर्ष 2016-2017 के दौरान, 42,82,454 घरों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति उपलब्धि 32,14,495 थी। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए मकानों के

निर्माण का लक्ष्य क्रमश 32,33,800, 25,14,646 और 60,00,000 था। हालांकि, इन उत्तरोत्तर वर्षों के लिए पूरा किए गए घरों का लक्ष्य क्रमशः 4454493, 4733,445 और 21,91,804 था। वर्ष 2020-21 का लक्ष्य 44,25,494 आवास था, इनमें से (दिनांक 15.07.2021 तक की स्थिति के अनुसार) 40,60,503 आवासों की स्वीकृत की गई थी और 3399538 संख्या में आवासों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान 1,49,30,760 पीएमएवाईजी के लक्ष्य के मुकाबले 11,11,811 घरों को 15-07-2021 तक पूरा कर लिया गया है। 15 सितंबर, 2016 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान 2.95 घरों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 15 जुलाई 2022 तक कुल मकानों का निर्माण केवल 1,57,06048 है। इस प्रकार, 1,37,93952 घरों की कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गृहहीन परिवारों और कच्चे तथा जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य तक पहुंचने में केवल एक वर्ष का समय बचा है। मंत्रालय ने इसमें देरी के लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया है और लंबित लक्ष्यों को पूरा करने के उपाय शुरू किए हैं। **समिति ने पीएमएवाईजी के तहत मकान निर्माण की धीमी प्रगति को गंभीरता से देखा। उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय से पुरजोर आग्रह करती है कि वह समय-समय पर घर को पूरा करने के लक्ष्यों और उपलब्धियों की उचित तत्परता के साथ समीक्षा करे और इसे पूरा करना सुनिश्चित करे तथा उनके साधनों के भीतर घर मिल सके। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति मंत्रालय से अपेक्षा करती है कि वह मकानों के निर्माण की धीमी गति में निहित समस्याओं की पहचान कर उन्हें इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराए।**

सरकार का उत्तर

दिनांक 28.06.2022 की स्थिति के अनुसार कुल 2.43 करोड़ मकान स्वीकृति किए गए हैं, 2.31 करोड़ मकानों के लिए पहली किश्त जारी की गई है और 1.87 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, प्रति दिन 9,837 मकानों के निर्माण की दर से कुल 8.75 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। आगे भी इसके बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि मंत्रालय चुनिंदा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना की नियमित समीक्षा करता रहा है।

मकानों के निर्माण की वर्तमान गति के साथ, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.02 करोड़ मकानों का निर्माण 15 अगस्त, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा और 2.95 करोड़ मकानों का संचयी लक्ष्य मार्च, 2024 तक प्राप्त किया जाएगा। संभावित समयसीमा निम्नानुसार हैः-

वास्तविक लक्ष्य की तारीख	**पूर्ण किए जाने वाले मकान (इकाई संख्या में)**
15 अगस्त, 2022	2.02 करोड़
31 मार्च, 2023	2.38 करोड़
31 मार्च, 2024	2.95 करोड़

यहां यह उल्लेखनीय है कि 13 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान, झारखंड, असम, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पास पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.50 करोड़ (या कुल लक्ष्य का 92.60%) संचयी लक्ष्य है। इन राज्यों ने 2.26 करोड़ मकानों (अथवा कुल स्वीकृतियों का 93 प्रतिशत) पहले ही स्वीकृत कर लिया है और इन 13 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में पूरे किए गए मकान 1.7 करोड़ हैं

जोकि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित कुल मकानों का 93.92 प्रतिशत है। यह मंत्रालय पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रगति को बढ़ाने के लिए इन राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.02 करोड़ मकानों को संचयी रूप से पूरा करने के लिए 15 अगस्त, 2022 तक पाक्षिक लक्ष्य आवंटित किए हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति की सचिव (ग्रामीण विकास), अपर सचिव (ग्रामीण विकास) और उप महानिदेशक (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर बैठकों के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के सहित पीएमएवाई-जी के तहत प्रगति में बाधा डालने वाली कुछ समस्याओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

मुद्दें	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय
भूमिहीन लाभार्थियो को भूमि के प्रावधान में देरी।	राज्यों से सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी से संबद्ध सचिव को शामिल करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यबल स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ताकि भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि का समयबद्ध प्रावधान किया जा सके। पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान हमेशा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकों का कार्यसूची होता है।
कोषागार से एसएनए को केंद्रीय अंश और संबंधित राज्य सदृश अंश जारी करने में देरी।	पीएमएवाई-जी के तहत निधियों का अनुपलब्धता निर्माण की धीमी गति का एक मुख्य कारण है। इससे विगत 2 वित्तीय वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत प्रगति प्रभावित हुई है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों तथा टेलीफोन द्वारा बातचीत के माध्यम से मुद्दों को उठाता है ताकि राज्य लाभार्थियों को सहायता राशि की किश्तों के रूप में आगे निधियां जारी करने के लिए खजाने से एसएनए में निधियां जारी कर सके।
राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा मकानों की स्वीकृति में देरी।	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों इस संबंध में लगातार अनुपालन कर रहे हैं। मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए तकनीकी मुद्दों का समाधान करता है ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया में रूकावट न आए। मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतिम आवास+सूचि से मकानों को स्वीकृति देने में सहायता के लिए यूजर मैनुअल भी जारी किया है और मकानों की स्वीकति में वृद्धि की उम्मीद है और अगस्त, 2022 तक 2.95 करोड़ मकानों को स्वीकृति दी जाने की उम्मीद है। दिनांक 28.06.2022 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल 2.43 करोड़ मकानों को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है।
स्वीकृतियों और किश्तों को जारी करने में अंतर।	राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि मकानों की स्वीकृति और निधियां जारी करने के बीच कोई अंतर न हो। निधियां को समय से जारी करने से मकानों का समय से निर्माण सुनिश्चित होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उन मकानों पर विशेष ध्यान दे जिन्हें पहले ही दूसरी और तीसरी किश्त पहले ही प्राप्त

	हो चुकी है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मकानों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
मकानों को पूरा किए जाने में देरी-पहली किश्त को जारी करने के 12 माह बाद भी अधूरे मकान।	दिनांक 27.06.2022 की स्थिति के अनुसार, लगभग 12.24 लाख मकान निर्माण में विलंब की श्रेणी में हैं अर्थात वे मकान जो सहायता की पहली किस्त जारी होने के 12 माह बाद भी अधूरे हैं। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे सभी मकानों को शीघ्रता से पूरा करने की रणनीति तैयार करें जिनका निर्माण कार्य विलंब से चल रहा है और उन मामलों में कारणों का भी उल्लेख करें, जिनमें बिना वारिस के लाभार्थी की मृत्यु, स्थायी प्रवास, कानूनी मुद्दे, आदि जैसे कारणों से मकानों के निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। मंत्रालय ने ऐसे स्थायी प्रवास, बिना वारिस के लाभार्थी की मृत्यु इत्यादि जैसे मामलों से निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया विधि पहले ही जारी करती है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे मामलों से निपट सके और प्रगति प्रभावित न हो।
लेनदेन आधारित एमआईएस आवास-सॉफ्ट के प्रचालन में कठिनाई का समाधान।	टिकट प्रणाली शुरू की गई है ताकि एप्लिकेशन में किसी भी कठिनाई का सामना करने वाले सभी राज्य ऐसे ऑनलाइन मुद्दे उठा सकें, जिनके समाधान की निगरानी की जाती है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 6)

लाभार्थियों की पहचान

वास्तविक गरीबों की पहचान के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करते हुए समिति ने पाया कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी-2011 के अनुसार आवास अभाव मापदंडों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा की गई थी। पीएमएवाईजी के तहत सभी पात्र लाभार्थी एसईसीसी के आंकड़ों - के अनुसार, अपवर्जन प्रक्रिया के अध्यधीन सभी गृहहीन और शून्य, एक या दो कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले परिवार शामिल थे। सहायता प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की प्राथमिकता वर्गवार की गई थी जैसे एससीएसटीअल्पसंख्यक और अन्य परिवारों को गृहहीनता और उसके बाद कमरों की संख्या अर्थात / शून्य, एक और दो कमरे के आधार पर श्रेणीवार प्राथमिकता दी गई थी। इन प्राथमिकता सूचियों को ग्राम सभा द्वारा अपात्र लाभार्थियों की जांच करने और प्राथमिकता में परिवर्तन करने के लिए सत्यापित किया गया था। सूची में किए गए आवश्यक परिवर्तन ग्राम सभा के कार्यवाही सारांश के आधार पर किए गए थे और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित इन सूचियों को ग्राम पंचायत के भीतर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। विलोपन या रैंकिंग में बदलाव के कारण जो शिकायतें उठीं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय समिति को प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि ऐसी शिकायतों का समाधान किया जा सके। अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम पंचायत की श्रेणीवार स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दे दिया गया और इसे व्यापक रूप से जी की वेबसाइट पर दर्शा दिया गया।-जी की वेब प्रकाशित कर पीएमएवाई (पीडब्ल्यूएल) **उपर्युक्त से समिति यह पाती है कि पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में ग्राम सभा सूचियों को अंतिम रूप देने वाला प्राधिकारी है और राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय समिति आने वाली शिकायतों का समाधान करेगी। इस योजना का कार्यान्वयन, अन्य**

किसी प्राधिकारी द्वारा सूचियों का सत्यापन किए बिना, जमीनी स्तर पर अंतिम रूप दी गई सूचियों पर आधारित है। समिति इसके कारणों की जानकारी लेना चाहेगी। वे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या इस प्रकार तैयार की गई सूचियों से अब तक इस योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है। समिति दृढ़ता से लगता है कि इस योजना में आधार के जुड़ाव से डुप्लीकेसी से बचने में मदद मिल सकती है और बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि लाभ पात्र तक पहुंचे। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन रूपरेखा के प्रावधानों के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) तथा आवास+ डाटा के अनुसार तथा बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन बेघर तथा शून्य, एक या दो कच्चे कमरों वाले मकानों में रह रहे परिवार शामिल हैं।

पात्र लाभार्थियों की सिस्टम से तैयार ग्राम पंचायत-वार सूचियों का सत्यापन करने के लिए ग्राम सभा इन सूचियों का अवलोकन करती है। ग्राम सभा इन सूचियों में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन करती है, जिसके आधार पर ग्राम सभा की बैठक में परिवारों को इन सूचियों में शामिल किया गया है। यदि किसी परिवार को गलत तथ्यों के आधार पर इन सूचियों में शामिल किया गया है, यदि उस परिवार ने सर्वेक्षण किए जाने के बाद पक्के मकान का निर्माण कर लिया है या वह परिवार गांव से प्रवास कर गया है या उस परिवार को किसी सरकारी योजना के अंतर्गत मकान आवंटित कर दिया गया है तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों के नाम सूची से हटा देगी। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा कतिपय मामलों में परिवारों की प्राथमिकता में बदलाव कर सकती है। हटाए गए ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची तथा हटाए जाने के कारणों, प्राथमिकता में किए गए बदलावों का उल्लेख ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त में किया जाएगा।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सही लाभार्थी की पहचान की प्रक्रिया पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और दायित्वों के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के अनुरूप है।

अपीलीय तंत्र

□) सत्यापन के बाद ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूचियों का कम से कम 07 दिनों की अवधि तक ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार किया जाता है।

□) सूचियों का व्यापक प्रचार होने के बाद नाम हटाए जाने या प्राथमिकता क्रम में बदलाव किए जाने के विषय में शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है।

□) राज्य सरकार जिला स्तर पर जिला मेजिस्ट्रेट/क्लेक्टर की अध्यक्षता में और कम से कम एक गैर-सरकारी सदस्य को शामिल करते हुए तीन सदस्यों वाली अपलीय समिति का गठन करेगी और इस समिति को शिकायतें भेजी जाएंगी।

□) यह अपीलीय समिति शिकायतों पर विचार करेगी, नाम हटाए जाने या प्राथमिकता क्रम में बदलाव किए जाने के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करेगी और निर्धारित समयावधि में उनका समाधान करेगी।

□) अपीलीय समिति के निर्णय के बाद प्रत्येक श्रेणी के संबंध में ग्राम पंचायत-वार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा।

एसईसीसी-2011 सर्वेक्षण डाटा/आवास+ सर्वेक्षण डाटा से पात्र लाभार्थियों के चयन की उपर्युक्त प्रक्रिया के अलावा लाभार्थियों की पात्रता की पुष्टि पीएमएवाई-जी कर्मियों द्वारा मकानों के पंजीकरण और स्वीकृति के समय भी की जा रही है।

कार्यान्वयन तंत्र के अनुसार ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर भी शिकायत निपटान व्यवस्था बनाई गई। पदनामित शिकायत निपटान अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का स्पष्ट ब्यौरा प्रत्येक ग्राम पंचायत में दर्शाया जाता है। यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निपटान से संतुष्ट न हो तो आगे और स्तरों पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं। शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि में पदनामित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करके की गई कार्रवाई रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होती है तथा इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी देनी होती है। इन शिकायतों के निपटान के लिए मनरेगा के अंतर्गत नियुक्त लोकपाल की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से भी शिकायत प्राप्त होती हैं, जिसमें शिकायतों के वर्गीकरण की व्यवस्था अंतर्निहित है। शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्तन किया जाता है। गंभीर शिकायतों/आरोपों के मामलों में जांच करने के लिए केंद्र सरकार की टीमें भी भेजी जाती हैं।

जिन मामलों में केंद्र सरकार/राज्य सरकार की टीम द्वारा जांच के दौरान अधिकारियों/पंचायत अधिकारी/प्रधान इत्यादि के विरूद्ध शिकायत सही पाई जाती है, उन मामलों में चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध तुरंत कार्रवाई की जाती है। चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय राज्यों को निम्नलिखित कार्रवाई करने के सुझाव देता है:

i. चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए

ii. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) के द्वितीय हस्ताक्षर करने वाले संबंधित बीडीओ तथा कार्यों का प्रमाणन एवं निरीक्षण करने वाले अन्य पर्यवेक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

iii. जिन मामलों में चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में देरी की गई हो उन मामलों में अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन मामलों में की गई कार्रवाई का सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

उपर्युक्त शिकायत निपटान व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि अपात्र परिवारों के चयन या ऐसे अन्य मामलों में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएमएवाई-जी नामक ग्रामीण आवास योजना की सभी स्तरों पर निरंतर निगरानी की जाती है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा उन कार्यों के समयबद्ध समापन पर विशेष जोर दिया जाता है। इस निगरानी व्यवस्था का ब्यौरा इस प्रकार है:

□) लाभार्थियों और फोटोग्राफ एवं निरीक्षण रिपोर्टों सहित निर्माण कार्य की प्रगति और निधियों को जारी किए जाने के संबंध में समस्त ब्यौरा आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया जाएगा और यही ब्यौरा इस योजना की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति की निगरानी का आधार होगा। पात्र/अपात्र परिवारों, स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल), वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति इत्यादि से संबंधित रिपोर्टें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होंगी, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होंगी।

□) निर्माण कार्य की वास्तविक प्रगति की निगरानी निर्माण कार्य के राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित चरणों में से प्रत्येक चरण में अपलोड किए जाने वाले फोटोग्राफों के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार इन फोटोग्राफों को अपलोड करने के लिए आवास ऐप का उपयोग करेगी। एक फोटोग्राफ मकान का निर्माण कार्य संपन्न होने पर अपलोड किया जाएगा।

□) राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम) और मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी अपने क्षेत्रीय दौरों के समय यथा संभव संख्या में पीएमएवाई-जी मकानों का निरीक्षण करके निर्माण कार्य की प्रगति तथा लाभार्थियों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया इत्यादि का मूल्यांकन करेंगे।

□) राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) को कार्यान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता पर्यवेक्षण के कार्य करने हैं। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण में यथा संभव 10% मकानों का निरीक्षण करना चाहिए। जिला स्तर के अधिकारियों को निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण में 2% मकानों का निरीक्षण करना चाहिए। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक मकान किसी ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (ग्राम रोजगार सहायक या ग्राम स्तर के अन्य किसी कार्यकर्ता) को टैग किया जाना होता है, जिसका कार्य लाभार्थी के साथ निर्माण कार्य का अनुवर्तन करना और निर्माण कार्य में सहायता कराना है।

□) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां समय पर जारी करना तथा राज्य नोडल खातों में ये निधियां और राजकोष से तदनुरूप राज्य अंश जारी किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी करना।

□) ग्रामीण विकास मंत्री तथा सचिव, ग्रामीण विकास के स्तर पर राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में समीक्षा

□) मकानों की स्वीकृतियों, मकानों का निर्माण पूरा, मकानों के निर्माण में देरी, राज्य राजकोष से निधि जारी किए जाने इत्यादि जैसे कई निर्धारित मानदंडों सहित वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में अपर सचिव (ग्रामीण विकास), उप-महानिदेशक (ग्रामीण आवास) द्वारा क्षेत्रीय/राज्य-वार समीक्षा।

□) जिन राज्यों के लक्ष्य अधिक हैं, कार्य-निष्पादन कम है और जिन राज्यों में मकानों के निर्माण कार्य में देरी हुई है उन राज्यों की अलग से समीक्षा।

□) अपात्र/अनिच्छुक लाभार्थियों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) से हटाकर पीडब्ल्यूएल में संशोधन करना।

□) वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में औपचारिक सामाजिक लेखा परीक्षा की जानी है, जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल होती है।

□) जिन लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं उन्हें सहायता राशि का भुगतान आवाससॉफ्ट-पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीधे उनके बैंक/डाकघर खातों में किया जाएगा।

□) इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न मापदंडों की प्रगति की निगरानी निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है।

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्या 18) (आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार, मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के संबंध में पीएमएवाई-जी लाभार्थियों से उनका आधार संबंधी ब्यौरा मांगे जाने के संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। दिनांक 27.06.2022 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत 2.42 करोड़ परिवारों में से कुल 1.84 करोड़ के आधार संबंधी ब्यौरे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहमति से पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।

आवास+ परिवारों के संबंध में आधार संबंधी ब्यौरे को इस उद्देश्य से अनिवार्य किया गया है कि पीएमएवाई-जी के एसईसीसी-2011 डाटाबेस से लाभार्थियों के दोबारा नाम डाले जाने से बचा जा सके।

दिनांक 27.06.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपात्र परिवारों के नाम हटाए जाने के बाद आवास+ सर्वेक्षण की सूचियों में शेष 2.85 करोड़ परिवारों की तुलना में 2.66 करोड़ परिवारों के मुखिया और 3.21 करोड़ परिवारों के सदस्यों के आधार नम्बर दर्ज किए जा चुके हैं।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 7)

चयन मापदंड

योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जांच के दौरान समिति को यह बताया गया था कि पीएमएवाईजी के कार्यान्वयन के लिए ढांचे के अनुसार, पात्र समस्त लाभार्थियों को पीएमएवाई में बहुस्तरीय प्राथमिकता (जी) दी गई है। लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया पीएमएवाईजी की योजना में सर्वोपरि कदम है। समिति ने इस बात को इंगित किया कि लाभार्थियों की सूची अत्यंत सटीकता के साथ तैयार की जानी चाहिए ताकि किसी भी पात्र गरीब की अनदेखी न की जा सके और संदेहभ्रष्टाचार की धुंध में लाभ न ले / सके। पीएमएवाईजी के तहत लाभार्थियों की पहचान पंचायत द्वारा की जाती है। लेकिन बदलते समय के साथ पंचायतों की भूमिका वास्तविक अर्थों में बदली प्रतीत होती है और पंचायत में लोगों को राजनीतिक साधनों केरूप में उन्मुख हो जाने का खतरा है। समिति लाभार्थी की सूची में नाम शामिल करने से जुड़ी

गड़बड़ियों पर अपना कड़ा मत व्यक्त करती है और इसलिए सिफारिश करती है कि लाभार्थियों की सूची तैयार करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा नामित "सरकारी अधिकारी" के परामर्श से किया जाना चाहिए।

जांच के दौरान समिति ने पाया था कि कुछ मामलों में जहां लाभार्थियों के नाम के आगे पंचायत प्रधान के संपर्क नंबर का उल्लेख किया गया था, जिससे योजना वित्तीय रूप से कमजोर हुई है। समिति का दृढ़ विचार है कि भ्रष्टाचार के ऐसे आधारों को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है यदि राज्य सरकार एक सरकारी अधिकारी को नामित करे जो लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले तथ्यों की पुन : जांच करे। समिति मंत्रालय से निर्देशों को इस तरह से संशोधित करने की सिफारिश करती है कि अब से निर्देशों के प्रम-इस योजना के दिशा ाणीकरण के बाद ही लाभार्थी को किसी सरकारी अधिकारी द्वारा पूर्णत की सूची में नाम शामिल किया जाना चाहिए।

समिति का मानना है कि जिस समय 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की गई थी, उस समय टेलीविजन सेटों और मोबाइल फोनों के मालिक को अनावश्यक उच्च मूल्य की "आराम" वस्तुओं से संबंधित श्रेणियों में शामिल किया गया था। लेकिन समय बीतने के साथ देश में स्थिति बदल गई है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतों में इतनी भारी कमी आई है कि एक बेघर परिवार भी मोबाइल फोन का खर्च उठा सकता है। समिति का दृढ़ विचार है कि भौतिक वस्तुओं के स्वामित्व पैटर्न की बदलती गतिशीलता के कारण, एक स्थिर चयन मानदंड उचित प्रतीत नहीं होते हैं। समिति मंत्रालय से गतिशील चयन मानदंड विकसित करने की अपेक्षा करता है जो "वास्तविक गरीब" की पहचान करने और लक्षित लाभार्थियों से अयोग्य को अलग करने में समर्थ हो। इससे चयन संबंधी मानदंड बदल गए। इसलिए समिति पुरजोर रूप से चाहती है कि एक मंत्रालय चयन मानदंडों पर पुनर्विचार करे।

सरकार का उत्तर

एसईसीसी-2011 के आधार पर पीएमएवाई-जी की बहिर्वेशन प्रक्रिया पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन रूपरेखा के अनुबंध-I में की गई है और उसका ब्यौरा आगे भी दर्शाया गया है:

बहिर्वेशन प्रक्रिया

चरण-1: पक्के मकानों वालों का बहिर्वेशन – पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले मकानों में रह रहे सभी परिवारों तथा दो से अधिक कमरों वाले मकानों में रह रहे परिवारों को इस योजना से बाहर कर दिया जाता है।

चरण-2: स्वत: बहिर्वेशन – शेष बचे परिवारों में से **आगे सूची में उल्लिखित 13 मानदंडों में से किसी भी एक मापदंड** के पूरा करने वाले सभी परिवार **स्वत: बाहर हो जाते हैं:-**

i. दो पहिया/तिपहिया/चार पहियों वाले मोटर वाहन/मोटर वाली फिशिंग बोट

ii. तीन पहियों/चार पहियों वाले मशीनी कृषि उपकरण

iii. 50,000 रुपए या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड

iv. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो

v. ऐसे परिवार जिनका कोई गैर-कृषि उद्यम सरकार के पास पंजीकृत हो

vi. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य प्रतिमाह 10,000 रुपए से अधिक कमा रहा/रही हो

vii. आयकर का भुगतान करने वाले परिवार

viii. व्यवसाय कर का भुगतान करने वाले परिवार

ix. ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर है

x. ऐसे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन है

xi. ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित कृषि भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण है।

xii. ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है और वे उस भूमि से 2 या उससे अधिक फसले लेते हैं।

xiii. ऐसे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण है।

जैसा कि उपर्युक्त सूची से स्पष्ट है, यही मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता पा रहा लाभार्थी निर्धनतम हो। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार पीएमएवाई-जी बहिर्वेशन मानदंडों में शामिल नहीं किए जाते हैं, जिनके पास टेलिविजन या मोबाइल फोन हो।

निर्धारित बहिर्वेशन प्रक्रिया के बाद एसईसीसी-2011 सर्वेक्षण से 4.03 करोड़ परिवारों का चयन किया गया था। इन 4.03 करोड़ चयनित परिवारों की सूची क्षेत्रीय सत्यापन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई थी। सत्यापन तथा अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जाने के बाद पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र परिवारों के रूप में 2.95 करोड़ परिवारों का चयन किया गया और मार्च, 2024 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों का यही लक्ष्य तय किया गया है। जिन मामलों में लाभार्थी की मृत्यु हो गई हो और उनका कोई उत्तराधिकारी शेष नहीं था, लाभार्थी स्थायी रूप से प्रवास कर गए थे, उन परिवारों के नाम भी 2.95 करोड़ लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए। दिनांक 14 सितंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जाने के बाद पीडब्ल्यूएल में 2.15 करोड़ लाभार्थी हैं। इस लक्ष्य में 80 लाख लाभार्थियों की इस कमी को पूरा करने के लिए आवास+ सर्वेक्षण डाटा से लाभार्थियों का चयन किया गया है। यह चयन आवास+ सर्वेक्षण डाटा से पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 8)

"कच्चे घर" शब्द को फिर से परिभाषित करना

पीएमएवाईआंकड़ों के अनुसार पात्र (एसईसीसी) आर्थिक जाति जनगणना-जी के तहत सामाजिक-लाभार्थियों के शून्य, एक या दो कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले सभी गृहहीन और परिवार शामिल थे। कच्चे मकान की परिभाषा एसईसीसी 2011 में प्रयुक्त निर्धारित परिभाषा के अनुसार है। समिति को बताया गया कि पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा राज्य ने पीएमएवाईजी के तहत कच्चे मकान की परिभाषा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि डीपीसी के साथ सीमेंट मोर्टार के साथ पकी हुई ईंट, पत्थर, कंक्रीट ब्लॉक आदि के साथ

टिकाऊ नींव वाला घर; लाल पकी हुई ईंटों, कंक्रीट ब्लॉक, आदि जैसी टिकाऊ सामग्रियों वाली कम से कम सिल स्तर तक दीवारें; 'आईसीआरए' पैनल, पकी ईंटों आदि जैसी नमी डिग्रेडेबल सामग्रियों वाली दीवारों की बाहरी सतह, सीमेंट रेत प्लास्टर और छत के साथ आरसीसी या आरबीसी या सीजीआई छत की चादर जैसी टिकाऊ सामग्रियों के साथ संरक्षित, संरचनाओं के नीचे छत जो दीवार सपोर्ट सिस्टम के साथ जमीन पर लोड स्थानांतरितकरने के लिए अच्छी तरह से जमीन में गढ़े हुए हैं/, जिसको अन्यथा घर को कच्चे घर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। असम और त्रिपुरा राज्य के लिए पीएमएवाईजी के तहत कच्चे मकान की संशोधित परिभाषा ल -ागू करने की भी सिफारिश की थी। समिति विशेष रूप से केवल दो राज्यों के लिए परिभाषा में संशोधन करने के पीछे के औचित्य से अवगत होना चाहेगी, जब योजना का समुचित कार्यान्वयन कच्चे मकान की परिभाषा पर टिका हो ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके। समिति ने इस तथ्य को भी नोट किया है कि मंत्रालय को कच्चे मकानों की परिभाषा बदलने के लिए राज्यों से कई प्रस्ताव मिले थे। यह इस बात का संकेत है कि राज्यों ने भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रत्येक पात्र गरीब को लाभार्थी के रूप में शामिल करने के लिए "कच्चे मकानों" की परिभाषा विकसित करने पर जोर दिया। **इसलिए, समिति मंत्रालय को एक मजबूत चयन मानदंड तैयार करने की पुरजोर सिफारिश करती है जो बेघरों की क्रय शक्ति के बदलते चरणों को आत्मसात करता है; और इस प्रकार पीएमएवाईजी के तहत उपेक्षित किसी लक्षित लाभार्थी को नहीं छोड़ता।**

सरकार का उत्तर

4 राज्यों नामतः असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पंजाब ने पीएमएवाई-जी के तहत कच्चे मकान की परिभाषा में संशोधन के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया था और इस अनुरोध के आधार पर मंत्रालय ने डॉ नागेश सिंह, सेवानिवृत्त अतिरिक्त सचिव (आरडी) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें फील्ड विशेषज्ञ भी इस समिति के सदस्य थे। समिति ने अपनी सिफारिशें देने से पहले विचार-विमर्श और क्षेत्र का दौरा किया। इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, पीएमएवाई-जी के तहत कच्चे मकान की परिभाषा को असम और त्रिपुरा राज्यों के लिए निम्नानुसार रूप से संशोधित किया गया था:-

असम और त्रिपुरा राज्य के लिए, सीजीआई शीट की छत और कच्ची दीवार वाले मकान को कच्चा मकान माना जा सकता है, जबकि सीमेंट रेत प्लास्टर से संरक्षित बाहरी सतह के साथ साथ नमी वाली अवक्रमित सामग्री जैसे 'इक्रा' पैनल, बिना जली ईंटों आदि वाली दीवार को पक्की दीवार माना जा सकता है।

राज्यों से प्राप्त अनुरोधों और इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें, जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, निम्नानुसार हैं:-

राज्य का नाम	**पीएमएवाई-जी के तहत कच्चे मकान की परिभाषा में प्रस्ताव/संशोधन का अनुरोध**	**विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें/ राज्य को सूचित किए गए निर्णय**
असम	कच्ची दीवार वाले लेकिन सीजीआई शीट की छत वाले मकान को पीएमएवाई-जी के तहत पक्का मकान भी प्रदान किया जाना चाहिए (यानी कच्ची दीवार वाला मकान और सीजीआई शीट छत को कच्चा मकान	असम राज्य के लिए, सीजीआई शीट छत और कच्ची दीवार वाले मकान को कच्चा मकान माना जा सकता है, जबकि सीमेंट रेत प्लास्टर के साथ संरक्षित बाहरी सतह के साथ नमी डिग्रेडेबल सामग्री जैसे 'इक्रा' पैनल, बिना जली ईंटों आदि वाली दीवार को पक्की दीवार माना जा सकता

	माना जाता है)	है।
पंजाब	कच्ची दीवार की श्रेणी के तहत आवास कक्ष की दीवार की एक प्रमुख सामग्री के रूप में 'जली हुई ईंट' को शामिल करना।	जली हुई ईंटों और सीमेंट / चूना / मिट्टी मोर्टार के साथ चिनाई की दीवार को आवास कक्ष की दीवार की प्रमुख सामग्री के रूप में पक्की दीवार माना जाएगा और उसी के साथ मकान को कच्चे मकान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, राज्य के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी।
	कच्चे छत की श्रेणी के तहत आवास कक्ष की छत की प्रमुख सामग्री के रूप में 'लकड़ी के तख्तों (बाला)' को शामिल करना।	पीएमएवाई-जी के तहत कच्चे मकान की मौजूदा परिभाषा में राज्य द्वारा अनुरोधित संशोधन शामिल है, इसलिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
	कच्चे मकान की दीवार या कच्ची छत के साथ आवास कक्ष को कच्चा मकान माना जाता है	ऐसे मकानों को अर्ध-कच्चे / अर्ध पक्के मकानों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो मौजूदा परिभाषाओं में अच्छी तरह से शामिल किए गए हैं और किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
त्रिपुरा	कच्ची दीवार और सीजीआई शीट छत वाले मकानों को पीएमएवाई-जी के तहत सहायता के लिए पात्र माना जाएगा (यानी कच्ची दीवार और सीजीआई शीट छत वाले मकान को कच्चा मकान माना जाएगा)	त्रिपुरा राज्य के लिए, सीजीआई शीट छत और कच्ची दीवार वाले मकान को कच्चा मकान माना जा सकता है, जबकि सीमेंट रेत प्लास्टर के साथ संरक्षित बाहरी सतह के साथ नमी वाली अवक्रमित सामग्री जैसे 'इक्रा' पैनल, बिना जली हुई ईंटें आदि वाली दीवार को पक्की दीवार माना जा सकता है।
उत्तर प्रदेश	पक्की दीवारों वाले मकानों को कच्चा मकान श्रेणी में माना जाता है।	पक्के दीवारों वाले मकान, लेकिन कच्चे छत को अर्ध-पक्के मकान के तहत वर्गीकृत किया जाना है। इसलिए, राज्य के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी।

संशोधित परिभाषा के आधार पर असम और त्रिपुरा राज्यों ने एसईसीसी 2011 डेटाबेस से क्रमश: 8.71 लाख और 1.83 लाख नए परिवारों की पहचान की है जो पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यूएल में शामिल करने के लिए पात्र हैं। मंत्रालय ने एसईसीसी 2011 डेटाबेस से इन नए पहचाने गए परिवारों में से असम और त्रिपुरा राज्यों को 8.17 लाख और 1.83 लाख मकानों का लक्ष्य पहले ही आवंटित कर दिया है।

मंत्रालय राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों से कच्चे मकान की परिभाषा में संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी / आवश्यकताओं के अनुसार उसी प्रकार विचार करेगा जैसा कि उपर्युक्त4 राज्यों के लिए किया गया है।

टिप्पणियां सिफारिश/(क्रम सं .11)

योजना की निगरानी

समिति यह समझती है कि राज्य, जिला, ब्लॉक और राज्यसंघ राज्य क्षेत्रों ने पंचायत स्तर पर निर्माण की / गुणवत्ता के कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के कार्यों को शुरू करने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया। राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का नेतृत्व राज्य नोडल अधिकारी द्वारा किया जाता है और अन्य कर्मियों को लाइन विभागों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से और संविदा के आधार पर कर्मियों की भर्ती द्वारा उनकी सेवाएं ली जाती हैं। इसके अलावा लाभार्थियों के संबंध में सभी आंकड़े, निर्माण की प्रगति और निधि जारी करने का काम अवास सॉफ्ट पर रखा गया है। यह योजना की वित्तीय और वास्तविक प्रगति दोनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का आधार बनता है। निर्माण में भौतिक प्रगति पर नजर निर्माण के हर चरण में अपलोड की जाने वाली तस्वीरों के माध्यम से की जाती है। अवास ऐप का इस्तेमाल राज्य सरकार ने जियो टैग किए गए फोटो अपलोड करने के लिए किया था। इसके अलावा मकान का निर्माण पूरा होने पर मकान की फोटो अपलोड कर दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि योजना की पूरी निगरानी आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर थी। इस संबंध में समिति ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या गांवों में साइट से अवास सॉफ्ट से संबंधित गतिविधियों को अपलोड करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी इन गतिविधियों को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित थे। मंत्रालय ने केवल यह कहा कि प्रशासनिक निधियों का एक घटक है जो राज्य केंद्रों को जारी आवास निधियों का 2% है। केन्द्रीय हिस्सेदारी की इन 2 प्रतिशत निधियों में से 0.3 प्रतिशत केन्द्र स्तर पर रखी गई थी और इस योजना के प्रशासन की विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 1.7 प्रतिशत राशि जारी की गई थी जिसमें संविदा पर कर्मियों की भर्ती सहित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना और संचालन की लागत शामिल थी और एक्सपोजर विजिट सहित पंचायतों के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्योंसंघ राज्य क्/षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर मंत्रालय ने एनआईसी टीम, पीएमयू टीम के अधिकारियों के साथ मंत्रालय के ग्रामीण आवास प्रभाग के अधिकारियों के दौरे की व्यवस्था की और डेटा प्रविष्टि और अन्य कार्यों के लिए अवासऐप और अवाससॉफ्ट के उपयोग पर फील्ड वर्कर्स को आवश्यक सहायता प्रदान की। इससे यह निहित था कि उन लोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी जो डेटा को आवाससाफ्ट पर अपलोड करने के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि योजना की निगरानी उस डेटा पर निर्भर थी जो इतनी अपलोड की गई थी। समिति का इस बात पर मजबूत विचार है कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए और प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और फील्ड वर्कर्स के कर्मियों को देने के लिए अनुरोध भेजने की प्रतिक्षा करने के बजाय मंत्रालय को उन्हें आवधिक प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए ताकि वे आवाससॉफ्ट ऐप पर सटीक आंकड़े अपलोड कर सकें जिससे प्रभावी निगरानी भी हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में नेट कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों को देखते हुए समिति इस प्रणाली की प्रभावकारिता को लेकर आशंकित है।

समिति इस संबंध में अवगत होना चाहेगी कि योजना के क्रियान्वयन की निगरानी में यह प्रणाली किस हद तक कारगर रही है। समिति ने नोट किया कि दिशा समिति की बैठकें योजना के निगरानी पहलू का अभिन्न अंग हैं। इसलिए, समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि राज्य **सरकारें पीएमएवाईजी की प्रगति की निगरानी के लिए दिशा बैठकें त्रैमासिक रूप से बुलाने के लिए तै-यार रहे ताकि योजना और निर्मित घरों के अधिदेश को मजबूत किया जा सके।**

सरकार का उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन पर जोर देता है। अपने कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) प्रणाली का उद्देश्य सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रभाव, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। निष्कर्षों की समीक्षा की जाती है और राज्यों के साथ जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए साझा किया जाता है।

पीएमएवाईजी डैशबोर्ड एक दृष्टि में पीएमएवाई-जी योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के लिए विश्लेषणात्मक और रणनीतिक व्यावसायिक बुद्धिमत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। डैशबोर्ड कार्रवाई कार्रवाईयोग्य जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगा जिसमें संपूर्ण वास्तविक और वित्तीय प्रगति की सिंगल स्क्रीन पर जानकारी दिखाना (विज़ुअलाइज़ेशन) और ब्लॉक स्तर तक लागू की जा सकने वाली राज्य स्तरीय रिपोर्ट, किस्तें जारी करने में अंतर/देरी का विश्लेषण, आवास निर्माण की गति, आयु-वार, श्रेणी-वार डेटा विश्लेषण शामिल हैं ताकि विसंगतियों, बाहरी कारकों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा, डैशबोर्ड हितधारकों के साथ गहन समन्वय करके गतिशील और अनुकूलन योग्य डेटा जानकारी दिखाना (विज़ुअलाइज़ेशन) का उपयोग करके स्वीकृति और आवास निर्माण कार्य पूरा होने की प्रगति के लिए मौजूदा स्थिति के विश्लेषण को चित्रित करने में सक्षम होगा।

दिशा (जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति) एक निगरानी तंत्र है जो कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं को लागू किया जाना सुनिश्चित करता है। दिशा समिति की बैठकें एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जिसमें किसी जिले में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की जा सकती है और संसद सदस्यों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए, कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रणनीति तैयार की जा सकती है। इस समिति की अध्यक्षता माननीय संसद सदस्य द्वारा की जाती है। इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीएमएवाई-जी से संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को संबोधित सचिव (ग्रामीण विकास) के दिनांक 26 अक्तूबर, 2021 के पत्र के माध्यम से पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन और निगरानी में माननीय संसद सदस्यों की भूमिका पर पुन: जोर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि दिशा समितियों की बैठक सुनिश्चित करने और जिला अधिकारी द्वारा राज्यों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कई पत्र भेजे गए हैं।

इसके अलावा 08 नवंबर 2021 के पत्र में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क (एफएफआई) का उल्लेख करते हुए सभी माननीय संसद सदस्यों को जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठकों में भाग लेने और उसकी अध्यक्षता करने का स्मरण करवाया, इन बैठकों में पीएमएवाई-जी के तहत प्रगति की समीक्षा भी की जानी है।

आवाससॉफ्ट, डैशबोर्ड और अन्य तंत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए दल भेजता है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक व्यापक मॉड्यूल मिशन कर्मयोगी के तहत आईजीओटी पर उपलब्ध है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए

आवश्यक है कि वे पोर्टल पर पंजीकरण और इस विषय के संबंध में सभी फील्ड कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। इसके अलावा यह मंत्रालय वास्तविक या वर्चुअल मोड के माध्यम से तकनीकी दल तैनात करके आवश्यकतानुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तकनीकी समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करता है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 12)

परफॉर्मेंस ऑडिट

इस विषय की जांच करते हुए समिति ने उस निगरानी तंत्र की जानकारी मांगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी को भूमि खरीद के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि वास्तव में उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई थी। इस पर मंत्रालय ने जवाब दिया कि भूमिहीन लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराना राज्योंकेंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। समिति के प्रश्नों के जवाब में मंत्रालय ने स्वीकार किया क/ि मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अलग निगरानी प्रणाली नहीं है जिससे यह पता लग सके कि उक्त उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया था कि पीएमएवाईजी के संबंध में अभी एक परफ़ोर्मेंस ऑडिट की जानी है। समिति का दृढ़ मत है कि समय पर समीक्षा और लेखा परीक्षा की योजना के समय ऐसी पैन इंडिया कवरेज की आवश्यकता होती है जिसका विषय बेघर लोग हैं और इस प्रकार समिति इस योजना के प्रदर्शन लेखा परीक्षा के परिणामों से अवगत होना चाहेगी। **समिति का मानना था कि इस आवास योजना में सोशल ऑडिट करने के लिए सामाजिक स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण किया जा सकता है। मंत्रालय ने इस पर सहमति व्यक्त की और कहा कि ''आपका सुझाव भी हमारे लिए बेहद उपयोगी है"। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।**

सरकार का उत्तर

सामाजिक लेखा परीक्षा किसी विशेष परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी संगठन के प्रयासों, प्रक्रियाओं और **सामाजिक** जिम्मेदारी और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में आचार संहिता की औपचारिक समीक्षा है। **सामाजिक लेखा परीक्षा** इस बात का आकलन है कि कोई नीति **सामाजिक** जिम्मेदारी के लिए अपने लक्ष्यों या मानकों को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर रही है। सामाजिक लेखा परीक्षा पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा में उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। तदनुसार, इस प्रक्रिया को सरल बनाने और उक्त प्रक्रिया में बेहतर निगरानी और पारदर्शिता पहलुओं के लिए पीएमएवाई-जी के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा के संबंध में मॉड्यूल विकसित किया गया है लेकिन अभी तक इसकी शुरूआत नहीं की गयी है। तथापि इस मंत्रालय के दिनांक 27 जनवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे पीएमएवाई-जी के सामाजिक लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा करें और 2016-17 से अब तक किए गए सामाजिक लेखा परीक्षा के आंकड़े और वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रस्तावित संख्या के प्रदान करें, इसके संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 02.12.2022 तक सामाजिक लेखा परीक्षा की स्थिति नीचे दी गई है-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की गई
1.	उत्तर प्रदेश	1,11,319
2.	त्रिपुरा	46,905

3.	मेघालय	40,550
4.	पश्चिम बंगाल	12,547
5.	उत्तराखंड	5,645
6.	असम	542
7.	मिजोरम	310
8.	झारखंड	128
9.	आंध्र प्रदेश	124
10.	बिहार	116
11.	हिमाचल प्रदेश	88
12.	ओडिशा	52
कुल		**2,18,326**

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन में कहा गया है कि डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के बीच टिकाऊ मकानों के निर्माण, सामग्री की खरीद के स्त्रोत आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी शामिल हैं।

इसके अलावा, महानिदेशक (केंद्रीय व्यय) द्वारा 12 राज्यों अर्थात उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 97 जिलों के 250 ब्लॉकों की 1250 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संबंध में 2017-18 से 2021-22 की अवधि की अखिल भारतीय कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा शुरू की गई है। सितंबर, 2022 से दिसंबर, 2022 तक कार्यस्थल पर लेखा परीक्षा की जा रही है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 14)

ड्रेनेज और जलापूर्ति प्रणाली का प्रावधान

समिति ने इस विषय की जांच के दौरान कुछ सामान्य सेवाओं जैसे जल निकासी या जलापूर्ति प्रणाली के प्रावधान और इन सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए मौजूद प्रावधानों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत जल निकासी और जलापूर्ति व्यवस्था के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि पीएमएवाईजी के लाभार्थी को पेयजल और स्वच्छता विभाग के - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या इसी तरह के तालमेल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। किसी अन्य योजना के तहत बनाए गए मकानों के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन सुविधा के मुद्दे पर मंत्रालय ने माना कि इस योजना के तहत अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। यह भी बताया गया कि घरों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए घरों द्वारा उत्पन्न ठोस और तरल कचरे का निपटान किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, राज्यसंघ राज्य क्षेत्र / सरकार ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की किसी अन्य योजना के साथ संघ राज्य क्षेत्र या राज्य स्वच्छ भारत मिशन तालमेल के माध्यम से हो सकती है। समिति सिफारिश रूप से एकीकृत किया जाए। **समिति ने यह बताया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का अक्षरशविचार है कि मंत्रालय को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को आपस में : जोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए और एक) नोडल अधिकारी के माध्यम सेसमन्वय करना (**

जी के तहत बनाए गए मकान जलापूर्ति-चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमएवाई, जल निकासी प्रणाली, बिजली कनेक्शन आदि सहित सभी प्रकार से रहने योग्य हों। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस संबंध में राज्य सरकार को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।

सरकार का उत्तर

इस मंत्रालय ने बिजली कनेक्शन, रसोई गैस कनेक्शन, पेयजल, शौचालय निर्माण आदि के लाभ प्रदान करने के लिए जिन संबंधित मंत्रालयों के साथ पीएमएवाई-जी का विलय किया है, उनके साथ अभिसरण और समन्वय के स्तर के विश्लेषण पर एक समिति का गठन किया है। अभिसरण के प्रभाव के आकलन का अध्ययन मंत्रालय द्वारा एनआईआरडी एवं पीआर के माध्यम से आयोजित करने की योजना पहले ही बनाई गई है। मंत्रालय योजनाओं के एमआईएस के बीच डाटा हस्तांतरण के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श कर रहा है, जिसके साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित पीएमएवाई-जी का अभिसरण किया गया है ताकि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को प्रदान किए गए अभिसरण लाभ आवाससॉफ्ट एमआईएस पर उपलब्ध हों। यह कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संबंधित योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण के लिए निगरानी और सुझाव देने के लिए संबंधित मंत्रालयों के सदस्य शामिल हैं।

पीएमएवाई-जी आवासों के बीच अभिसरण के ब्यौरे को दर्ज करने के लिए, आवाससॉफ्ट पर एक अभिसरण मॉड्यूल जुलाई 2021 से लाइव किया गया था और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें अभिसरण डेटा दर्ज करने के लिए कहा गया है। दिनांक 7 जून 2022 के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि आवाससॉफ्ट में अभिसरण मॉड्यूल पर पीएमएवाई-जी आवासों के अभिसरण विवरण दर्ज करने में तेजी लाएं।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 15)

राजमिस्त्री का प्रशिक्षण

समिति का मानना है कि मकानों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण को योजना में शामिल किया गया था। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित सार्वजनिक कार्यों के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक कुशल श्रमबल की उपलब्धता में योगदान करने, साथ ही प्रशिक्षित और प्रमाणित राजमिस्त्री के लिए आगे कैरियर प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर के लिए शुरू किया गया था। मंत्रालय ने आरएमटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद के साथ भागीदारी की है। (एनएसडीसी) और राष्ट्रीय कौशल विकास सहयोग (सीएसडीसीआई) जी योजना के तहत आवश्यक सही संख्या में -लेकिन समिति यह जानकर निराश है कि पीएमएवाई राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के संबंध में बहुत कुछ नहीं किया गया है। समिति इस बात पर हैरान है कि 21.10.2019 तक केवल 50,621 राजमिस्त्री को ही प्रमाणित किया गया था जो इस योजना के तहत बनाए जाने वाले 2.945 करोड़ घरों के लक्ष्य के लिए बहुत कम है। वास्तविक अर्थों में घरों के निर्माण की गुणवत्ता न केवल आधार के निर्माण की गतिविधि के लिए जिम्मेदार लोगों पर निर्भर करती है बल्कि संरचना पर भी बहुत निर्भर करती है। यह केवल उन कुशल राजमिस्त्री के साथ गुणात्मक रूप से संभव है जिनके पास सामग्री का ज्ञान, उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री के अनुपात, पीएमएवाईजी के तहत -तरीकों के डिजाइन से भली भांति परिचित हों।-घर के निर्धारित तौर

समिति का दृढ़ मत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता जरूरी है। समिति वर्ष 2019-20 (अनुबंध-II) के लिए प्रशासनिक व्यय के उपयोग तालिका के आंकड़ों से पता चलता है कि 34 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दो राज्यों(उत्तराखंड और झारखंड) ने वास्तव में / "ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम" के शीर्ष पर व्यय किया है; शेष 32 राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसे / प्रशिक्षण के लिए कोई आवंटन नहीं किया है। यह मात्र प्रतिशत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रभावहीनता का परिचायक है। (आरएमटी)

समिति का दृढ़ विश्वास है कि मंत्रालय ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद और राष्ट्रीय कौशल को तैयार करने में (सीएसडीसीआई) विकास निगम में दाखिला लेने के (एनएसडीसी) ईमानदारी से प्रयास करे और इसे पूरी गति के लिए लेबर वर्क फोर्स को आकर्षित करने के लिए साथ ट्यून करे। आरएमटी एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाए और हर स्तर पर प्रचारित किया जाए ताकि यह देश के हर कोने तक पहुंचे। मंत्रालय को उन राज्यों में राजमिस्त्री प्रशिक्षण को केंद्रित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करना चाहिए जहां निर्माण लक्ष्य पीएमएवाईजी के तहत निर्धारित लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं।

सरकार का उत्तर

मकानों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 21/06/2022 की स्थिति के अनुसार, आरएमटी के तहत, 2,47,112 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनमें से 1,96,716 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया है और 1,65,241 उत्तीर्ण और प्रमाणित किए गए हैं।

जिन श्रमिकों को निर्माण क्षेत्र में आवश्यक अनुभव है, उन्हें पीएमएवाई-जी के आरएमटी कार्यक्रम के तहत पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) मोड में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि उन्हें औपचारिक कैरियर की प्रगति के लिए सुविधा मिल सके।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 16)

भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि

इस विषय की जांच के दौरान समिति ने पाया कि बेघरों की कुल संख्या में से करीब चार लाख लाभार्थी पात्र भूमिहीन लाभार्थी पाए गए। समिति का मानना है कि कुछ राज्यों में भूमि की अनुपलब्धता, आवंटित निधि के कम उपयोग का एक प्रमुख कारण है। अभी भी 2.66 लाख लाभार्थियों को भूमि दी जानी है। भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। समिति ने आगे वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि में भारी अंतर देखा है। समिति का दृढ़ विश्वास है कि पीएमएवाईजी की योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि उपलब्ध कराना पहली आवश्यकता है क्योंकि घर बाद में आता है, भूमि पहले आती है। समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री स्तर पर इस मामले को आगे बढ़ा रहा है लेकिन समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि वह मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाए ताकि उन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराई जा सके जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। समिति मंत्रालय से मुख्य सचिवों के साथ बैठक बुलाने और उन राज्यों में ईमानदारी से कदम उठाने का आग्रह करती है जहां सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। भूमिहीन लाभार्थी पर विशेष ध्यान देते हुए दिशा समिति की बैठकों की नियमित

निगरानी जरूरी है। भूमि एक सीमित और दुर्लभ संसाधन होने के नाते, समिति मंत्रालय से अपेक्षा करती है कि वह उसी भूमि के टुकड़े पर बहुमंजिला मकान बनाने की अवधारणा को शुरू करे जहां कुछ घरों का निर्माण किया जाना था; शेष बची भूमि का उपयोग सामान्य उपयोगिता परिसरों के निर्माण के लिए किया जाए। समिति यह भी सुझाव देती है कि मंत्रालय को भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि की कमी को पूरा करने के लिए कचरे या चरागाह का उपयोग करने के लिए नीतियां पद्धतियांको नियमित आधार विकसित / करनी चाहिए।**समिति को लगता है कि मंत्रालय को इस मामले पर राज्य सरकार के साथ उठाना चाहिए ताकि कोई बेघर भूमि की उपलब्धता से वंचित न रह जाए।**

सरकार का उत्तर

भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में सबसे योग्य लाभार्थियों में से हैं। इसके अलावा पीएमएवाई-जी के तहत आवास निर्माण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (दिनांक 06.06.2022 की स्थति के अनुसार), पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यू (एसईसीसी-2011) में पहचाने गए कुल 4,40,931 भूमिहीन लाभार्थियों में से अब तक 2,45,381 लाभार्थियों को जमीन की खरीद के लिए भूमि/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ताकि वे मकान बना सकें।

इसके अलावा, भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्राप्त करने के संबंध में हाल की महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण नीचे दिया गया है –

i. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने अपने अ.स.प.सं.जे-11014/01/2016-आरएच, दिनांक 30.04.2021 के माध्यम से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, असम, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अधिकतम भूमिहीन लाभार्थियों वाले राज्यों के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के प्रावधान में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने का अनुरोध किया है।

ii. उप-महानिदेशक, ग्रामीण आवास ने पत्र एम.12018/2/2016 आरएच (एम एंड टी)-भाग-I (373369) दिनांक 30.01.2022 के माध्यम से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए मॉड्यूल का उपयोग करके भूमिहीन लाभार्थियों की टैगिंग और आवाससॉफ्ट में संबंधित डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

iii. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने अ.स.प.सं. एम-12018/2/2016- आरएच (एम एंड टी)-भाग-(1) दिनांक 16.06.2022 के माध्यम से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शेष भूमिहीन लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से भूमि उपलब्ध कराने और जल्द से जल्द उनके लिए आवासों की मंजूरी देने का अनुरोध किया ताकि 'सभी के लिए आवास' निर्धारित समय सीमा के भीतर हासिल किया जा सके।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी की प्रगति की समीक्षा के लिए 24, 27 और 28 जनवरी 2022 को आयोजित बैठकों में माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार ने भूमिहीन पीएमएवाई-जी

लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे को राज्य के माननीय मंत्रियों/उपराज्यपालों/प्रशासको के समक्ष उठाया। सचिव (ग्रामीण विकास), अपर सचिव (ग्रामीण विकास) उप महानिदेशक (ग्रामीण विकास) द्वारा प्रशासन के उच्चतम स्तर पर वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए ईसी बैठकों, पीआरसी बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों आदि जैसे विभिन्न बैठकों और मंचों पर भी इस मुद्दे को नियमित रूप से राज्यों के साथ उठाया जा रहा है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 17)

मूल्य वर्धन

समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान ग्रामीण के शासन मापदंडों का द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना मूल्यांकन जैसे कई शोध (एनआईपीएफ़पी) अध्ययन किए हैं। समिति ने कहा कि मंत्रालय को विभिन्न शोध अध्ययनों से प्राप्त सुझावों को योजना के संचालन में लागू करना चाहिए। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वे निर्वाचित प्रतिनिधियों से जानकारी लें क्योंकि वे उस क्षेत्र की जमीनी हकीकत से अवगत हैं जो इस योजना के तहत मकानों के निर्माण को मजबूत करने में काफी लाभदायक साबित हो सकता है। **समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह पीएमएवाईजी के पोर्टल पर जिलावार डैशबोर्ड को शामिल करे ताकि उनके क्षेत्र में बनाए जा रहे मकानों की प्रगति के बारे में जानकारी से निर्वाचित प्रतिनिधियों को अवगत कराया जा सके।**

सरकार का उत्तर

पीएमएवाईजी योजना के अंतर्गत नए विकसित डैशबोर्ड के अलावा सम्पूर्ण लेनदेन आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली आवाससॉफ्ट है। पीएमएवाईजी डैशबोर्ड पीएमएवाई-जी योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति के लिए विश्लेषणात्मक और रणनीतिक व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। डैशबोर्ड कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम है जिसमें संपूर्ण वास्तविक और वित्तीय प्रगति का सिंगल स्क्रीन विज़ुअलाइज़ेशन और ब्लॉक स्तर तक जानकारी प्रदान करने वाली राज्य स्तरीय रिपोर्ट, किस्तों को जारी करने में अंतर/देरी का विश्लेषण, आवास निर्माण की गति, आयु-वार, श्रेणी-वार डेटा विश्लेषण शामिल है ताकि विसंगतियों, अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। इसके अलावा, डैशबोर्ड हितधारकों के साथ निकट समन्वय में डायनेमिक और कस्टमाइजेबल डाटा विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग करके मंजूरी और आवास निर्माण प्रगति के लिए ट्रेंड विश्लेषण को दर्शाने में सक्षम है।

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 18)

कोविड-19 का प्रभाव

वर्ष 2020 में विश्व महामारी कोविड-19 का प्रकोप देखा गया, जिससे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हुआ, जिससे कई क्षेत्रों के कामकाज में कमी आई, जिसमें से एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य पीएमएवाईजी योजना के तहत आवास निर्माण की गति का धीमा होना भी है। समिति की ओर से बतायागया कि मकान पूरा करने के प्रतिदिन के दर में भारी कमी आई है।

समिति मंत्रालय के उस दृष्टिकोण की सराहना करती है जिसने जमीनी स्थिति का संज्ञान लिया और राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को पत्र और परामर्श जारी किए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षात्मक गियर / जी कार्य शुरू किया जा सके ताकि निर्माण -पहनने के संबंध में कड़ाई से पालन करने के साथ पीएमएवाई प्राधिकारियों को - जोरों पर किया जा सके। मंत्रालय ने क्षेत्र निर्देश जारी किए हैं ताकि बीच में छोड़े गए सैनिटाइज़ करनेे के लिए दिशा आवास निर्माण के कार्य को पुनः शुरू किया जा सके और 2020-21 लक्ष्यों के विरुद्ध लाभार्थियों को उन्हें प्रदान भी किया जा सके। मंत्रालय ने आगे बताया कि लॉकडाउन अवधि का उपयोग अवाससॉफ्ट पर शारीरिक रूप से पूर्ण घरों के एक अभियान मोड विवरण पर अपलोड करने के लिए किया गया था। समिति मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है और यह है कि वर्ष 2020-21 के लिए निर्माण के बैकलॉग को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए| ग्रामीण मेसन प्रशिक्षण - (आरएमटी) जो स्थापना के बाद से बहुत विनंर शुरू किया था कोविड19 के दौरान भारी मारा गया था मजदूरों के घर लौटने के **कारण। इसलिए समिति का यह दृढ़ विचार है कि मंत्रालय को आरएमटी में शामिल होने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि निर्माण की गुणवत्ता और निर्माण किए जाने वाले मकानों की संख्या दोनों नए सामान्य के समय में ऊपर की ओर झुकाव देखें।**

सरकार का उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्री की कम उपलब्धता के मुद्दे को हल करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) तैयार किया ताकि पीएमएवाई-जी के तहत गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। 21/06/2022 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत, 2,47,112 अभ्यर्थियों ने नामांकन दिया है, जिनमें से 1,96,716 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया है और 1,65,241 पास और प्रमाणित किए गए हैं।

जिन श्रमिकों के पास निर्माण क्षेत्र में आवश्यक अनुभव है, उन्हें पीएमएवाई-जी के आरएमटी कार्यक्रम के तहत पूर्व शिक्षा मान्यता (आरपीएल) मोड में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि उन्हें औपचारिक कैरियर प्रगति की सुविधा मिल सके।

निचले स्तर के क्यूपी द्वारा अधिकतम अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण राजमिस्त्री - (क्यूपी कोड: कॉन / क्यू 3603) के अलावा, नीचे सूचीबद्ध दो अतिरिक्त क्यूपी विकसित किए गए थे।

i. ग्रामीण राजमिस्त्री - एनएसक्यूएफ स्तर -2 पर सहायक (क्यूपी कोड: कॉन / क्यू 3604)

ii. ग्रामीण राजमिस्त्री - एनएसक्यूएफ स्तर -3 पर सहायक (क्यूपी कोड: कॉन / क्यू 3605)

इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

वैकल्पिकहरित निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए/, कंप्रेस स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक पर वैकल्पिक एनओएस के रूप में बांस संरचनाओं पर राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (सीएसईबी) क्यू/कॉन :क्यूपी कोड) को ग्रामीण राजमिस्त्री जॉब रोल (एनओएस)3603) के लिए संशोधित क्यूपी में शामिल किया गया है।

अध्याय चार

टिप्पणियां / सिफारिशें, जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हे दोहराए जाने की आवश्यकता है

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 10)

वित्तीय सहायता में संशोधन की आवश्यकता

समिति ने नोट किया कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 2.95 करोड़ घरों की योजना के तहत निर्माण की लक्षित अवधि थी; लक्षित संख्या में मकानों के निर्माण के लिए केवल एक वर्ष शेष रह गया है। समिति का मानना है कि विभिन्न निर्माण सामग्री और श्रम शुल्क की लागत बढ़ने के कारण हितग्राहियों को अपने पास राशि से मकान का निर्माण पूरा करने में दिक्कत हो रही है। समिति का मानना है कि एक बेघर की सत्तर हजार रुपये की सीमा निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होती है और मंत्रालय इसे और बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। समिति का यह भी मानना है कि श्रम की दरों में स्थिर और निरंतर वृद्धि, भवन निर्माण सामग्री की लागत और अन्य आपूर्ति की लागत में वृद्धि के कारण मंत्रालय की ओर से पीएमएवाई जी वित्तीय सहायता की राशि के तहत अनुमत ऋण जुटाना अनिवार्य हो जाता है।- **समिति का दृढ़ विश्वास है कि मंत्रालय को निर्माण लागत से जुड़ी मुद्रास्फीति की लागत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता की राशि में संशोधन करना चाहिए। समिति की सिफारिश है कि मंत्रालय धन को मंजूरी देने के लिए एक आधार रेखा के रूप में "निर्माण की अनुक्रमित लागत" का प्रस्ताव भी तैयार कर सकता है जो वास्तविक अर्थों में लक्षित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगा।**

सरकार का उत्तर

पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना के पुनर्गठन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगते समय, यह प्रस्ताव किया गया था कि 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण की लागत 600 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 1.50 लाख रुपये होगी। पीएमएवाई-जी के तहत इकाई सहायता (1.20 लाख रुपये/1.30 लाख रुपये) के साथ-साथ मनरेगा (90/95 कार्य दिवस) और एसबीएम-जी (शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता) से अकुशल श्रमिकों के लिए सहायता 25 वर्ग मीटर के मकान के निर्माण के लिए पर्याप्त होगी। यह एक बुनियादी आवास इकाई के लिए होगा जिसे लाभार्थी अधिक संसाधन उपलब्ध होने पर इसे बढा भी सकता है। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और कठिन क्षेत्रों, आईएपी जिलों और हिमालयी राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये है। 31 मार्च 2016 तक तत्कालीन ग्रामीण आवास योजना के तहत इकाई सहायता 70,000 रुपये/75,000 रुपये थी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना को पीएमएवाई-जी के रूप में पुनर्गठन का अनुमोदन करते समय बढ़ाकर 1,20,000/1,30,000 रुपये कर दिया गया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार पीएमएवाई-जी को मार्च, 2021 से आगे मार्च, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत इकाई सहायता को यथावत रखा गया है और वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-

24 के दौरान 2.95 करोड़ के संचयी लक्ष्य के भीतर शेष मकानों को पूरा करने के लिए लागत अनुमान तदनुसार प्राप्त किया गया है।

पीएमएवाई-जी के तहत, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 2.70 करोड़ मकानों का आवंटन किया गया था, इसमें से लाभार्थियों को कुल 2.43 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.31 करोड़ लाभार्थियों को पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है और 27.6.2022 तक 1.86 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा चुका है। मंत्रालय ने 15 अगस्त, 2022 तक 2.02 करोड़ मकानों को पूरा करने और 31 मार्च, 2022 तक 2.95 करोड़ मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए, वर्तमान में, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रदान की गई इकाई सहायता में संशोधन के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 13)

निर्माण की गुणवत्ता

विषय की जांच के दौरान समिति को बताया गया कि ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में क्रमश केवल :10 प्रतिशत और 2 प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना होता है। समिति ने जानना चाहा कि अन्य मकानों का गुणवत्ता पर्यवेक्षण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और मंत्रालय ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि योजना के लिए विकसित हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी के अनुरूप है। इन बातों का जवाब देते हुए मंत्रालय ने कहा कि एनआईसी की मदद से उन्होंने अवाससॉफ्ट में "हाउस क्वालिटी रिव्यू एप्लीकेशन" विकसित किया था जिसमें पूर्ण चरण में ली गई फोटो का उपयोग करके घरों की टैग वाली तस्वीर पीएमएवाईजी के तहत मकानों की गुणवत्ता की समीक्षा की जाती है। पीएमएवाई - गुणवत्ता निर्माण की समीक्षा, कॉमन रिव्यू मिशन टीम, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों आदि द्वारा फील्ड विजिट के माध्यम से भी की जा रही है। इस मुद्दे पर आगे, मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि चूंकि लाभार्थी आवासों के निर्माण में शामिल थे, इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गुणवत्ता अच्छी हो। इस प्रकार मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यक्रम में कार्यान्वयन और डिजाइन के संबंध में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा आवास योजना के समानांतर आते हुए कहा गया कि इंदिरा आवास योजना में ठेकेदारों की भागीदारी के कारण आवासों के निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, उन आवासों की तुलना में जहां लाभार्थी शामिल थे।

इसके अलावा, समिति का मानना है कि 'सभी के लिए आवास' योजना में निर्माण के विभिन्न चरणों में घरों की गुणवत्ता की निगरानी करने का प्रावधान नहीं है। समिति ने कहा कि पीएमएवाईजी के - योजना का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होना चाहिए था (पीएमजीएसवाई) समानांतर, जहां निर्माण के चरणों की निगरानी की जाती है। समिति का दृढ़ मत है कि चूंकि पीएमएवाईजी के तहत निर्मित मकानों का उपयोग अधिक समय तक किया जाना है, इसलिए निर्माण के विभिन्न चरणों में घरों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समिति ने मंत्रालय से योजना के निगरानी पहलू पर फिर से ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए कि निर्माण के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता का मूल्यांकन उन घरों के लिए किया जाए जिनका निर्माण अभी योजना के तहत किया जाना है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह संयुक्त बैठक के माध्यम से राज्य सरकारों के परामर्श से एक तंत्र तैयार करे और प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे जो निर्माण के विभिन्न चरणों में घरों का निरीक्षण करेगा; जिससे

योजना के निगरानी पहलू दोनों को समृद्ध बनाने के साथसाथ उसके निर्मित मकानों की गुणवत्ता - सुनिश्चित कीजा सके। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन पर जोर देता है। मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। राष्ट्रीय स्तर की निगरानी (एनएलएम) प्रणाली का उद्देश्य सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए निष्कर्षों की समीक्षा की जाती है और राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

पीएमएवाई-जी सहित ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एनएलएम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समय-समय पर दौरा करता है। इसके अलावा, योजना के तहत निर्मित मकानों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय दलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाती है।

पीएमएवाई-जी के तहत मकानों की टाइम-टैग और जियो-टैग की गई तस्वीरों को आवास ऐप का उपयोग करके मकान के निर्माण के विभिन्न स्तरों पर कौप्चर किया जा रहा है और इसे आवाससॉफ्ट एमआईएस में अपलोड किया जा रहा है। पीएमएवाई-जी मकानों की अपलोड की गई जियो-टैग की गई तस्वीरों का उपयोग करके कुछ हद तक मकानों की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'हाउस क्वालिटी रिव्यू एप्लिकेशन' विकसित की है। तदनुसार, मकान गुणवत्ता समीक्षा मॉड्यूल को सक्रिय बनाया गया है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने दिनांक 5 जनवरी, 2022 के इस मंत्रालय के पत्र के माध्यम से निर्माण के विभिन्न स्तरों पर पीएमएवाईजी आवासों की बेहतर निगरानी के लिए आवास गुणवत्ता समीक्षा मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार ने 21 मई 2021 को क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का उद्देश्य पीएमएवाई-जी सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं का वास्तविक समय के आधार पर निरीक्षण और साक्ष्य-आधारित रिपोर्टिंग करना है। यह ऐप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को उनके क्षेत्रीय दौरों के निष्कर्षों को इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप अधिकारियों को मकानो की मुहर लगी और जियो-टैग की गई तस्वीरों को रिकॉर्ड करने की भी सुविधा देता है। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशासनिक सचिव को प्रति माह चल रहे पीएमएवाई-जी आवासों का कम से कम 10 दौरे करने के लिए कहा गया है और अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी या समकक्ष स्तर के अधिकारियों को प्रति माह पीएमएवाई-जी आवासों का कम से कम 15 दौरे करने के लिए कहा गया है। फील्ड दौरों के निष्कर्षों को क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप पर दर्ज किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एआई आधारित फोटो विश्लेषण के माध्यम से मकानों की जियोटैग की गई तस्वीरों का उपयोग करके मकानों की निर्माण गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित कर रहा है।

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें,जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 9)

लाभार्थियों को बैंक लोन सुविधा

पीएमएवाईजी के तहत मकान निर्माण के लिए लाभार्थियों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 1,20,000 रुपये की निर्धारित राशि से अधिक के मकान निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को बैंक ऋण सुविधाओं के प्रावधानों के मुद्दे पर, समिति को बताया गया कि इस योजना में 70000 रुपये का ऋण लेने का प्रावधान है। कुछ राज्यों में जहां अनुवर्ती कार्रवाई अच्छी है, लाभार्थियों ने ऋण का लाभ उठाया है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे औपचारिक रुप से बैंक स्तर पर लागू नहीं किया गया है। नतीजतन, लाभार्थियों को अनौपचारिक ऋण लेना पड़ा जो औपचारिक ऋण से महंगा है। मंत्रालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्तीय सेवा विभाग के परामर्श से छोटे आवास ऋण विकसित करने का मामला उठाया है क्योंकि ग्रामीण आवास भी एक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण है। यदि मंत्रालय इस कार्यक्रम को कर सकता है तो बाद की पीढ़ियां, जब वे बड़े होकर अलग हो जाती हैं, तो सरकार से कुल राज सहायता योजना के बजाय बैंक ऋण ले सकती हैं। समिति के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर 19 जुलाई, 2021 के माध्यम से सूचित किया है कि सैंपल को आज तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लोन प्रोडक्ट मंत्रालय ने यह भी बताया था कि सचिव (जी के तहत-पीएमएवाई),ने (ग्रामीण विकास) 23 जून, 2021 के डीओ पत्र के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग के सचिव से तत्काल डीएफएस द्वारा बैठक बुलाकर लोन प्रोडक्ट के विकास संबंधी कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया था। समिति इस तथ्य का संज्ञान लेती है कि 2016 में पीएमएवाईजी की योजना शुरू होने के बाद से मंत्रालय लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के तंत्र को बनाने में निष्क्रिय रहा है। इसलिए समिति मंत्रालय से प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करती है ताकि सभी जरूरतमंद लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके जिससे योजना में मकान केवल कागजों में ही न बने बल्कि हकीकत में भी बने। समिति को आशंका है कि यदि मंत्रालय पीएमएवाईजी के तहत स्वीकृत ऋण को बट्टे खाते में डालेंगे इसलिए समिति इस बात से अवगत होना चाहती है कि किस तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों को औपचारिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है और किस तरह से मंत्रालय पीएमएवाईजी के तहत स्वीकृत ऋण की वसूली करेगा। **समिति का इस बात पर मजबूत विचार है कि मंत्रालय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लाभार्थियों को "श्रेणीवार" ऋण के साथ "नमूना ऋण योजना" के पूरक के रूप में "वित्तीय सहायता" पहलू को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि मंत्रालय इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की कई श्रेणियों के साथ सुसंगत ब्याज योजना को अंतिम रूप दे रहा है तो समिति को अवगत कराया जाएगा।**

सरकार का उत्तर

संस्थागत ऋण का प्रावधान अर्थात लाभार्थी को वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना पीएमएवाई-जी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।

यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क (एफएफआई) के अध्याय 2 के पैरा 2.2 (i) के अनुरूप ऋण उत्पाद के विकास के लिए निर्णय लिया गया था - 'यदि लाभार्थी ऐसा चुनता है, तो उसे वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावित मसौदा ऋण उत्पाद को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के माध्यम से वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है। अनुमोदित ऋण उत्पाद के अनुसार, प्रस्तावित 2.0 लाख लाभार्थियों को दो वर्षों यानी 2022-23 और 2023-24 की अवधि में 0.70 लाख की दर से 1400 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए 60 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता होगी।

नई दिल्ली;
___फ़रवरी, 2023
माघ, 1944 (शक)

गिरिश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति (2022-23) की चौदहवीं बैठक का कार्यवृत्त

समिति की चौदहवीं बैठक गुरुवार, 02 फरवरी, 2023 को 1500 बजे कमरा संख्या 52 बी, संसद भवन, नई दिल्ली -110001 में आयोजित की गई थी।

उपस्थित

श्री निहाल चन्द चौहान – संयोजक

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री हरीश द्विवेदी
6. डॉसंजय जायसवाल .
7. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
8. श्री मोहनभाई कुंडारिया
9. श्री दिलीप शइकीया
10. श्री कमलेश पासवान
11. डॉपटेल .सी .के .
12. श्री विनायक भाऊराव राऊत
13. श्री राजीव प्रताप रूडी
14. श्री जुगल किशोर शर्मा
15. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
16. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
17 श्री श्याम सिंह यादव
18 श्री पी.पी. चौधरी

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पंडा - अपर सचिव
2. श्री मुरलीधरन. पी - निदेशक
3. श्री आर.सी.शर्मा - अपर निदेशक

2. XXX XXX XXX

3. XXX XXX XXX

4. दो प्रतिवेदनों XXX और ''प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना'' पर समिति के मूल प्रतिवेदन पर की-विमर्श के बाद अपनाया गया।-कार्रवाई प्रतिवेदन को समुचित विचार-गई तत्पश्चात् समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालय से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट II

प्राक्कलन समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(सत्रहवीं लोकसभा)

(i)	टिप्पणियों/सिफारिशों की कुल संख्या	18
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (क्र. सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17)	14
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	77.77%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: (क्र. सं. 18)	01
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	5.55%
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं: (क्र. सं. 10,13)	02
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	11.11%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: (क्र. सं. 9)	01
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	5.55%